केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–433)

डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - vi**
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1—7
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	8—24
तृतीय	योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की भौतिक स्थिति	25—37
चतुर्थ	योजनान्तर्गत सृजित रोजगार एवं सुझाव	38—59
	परिशिष्ठ—**I**	60—61
	परिशिष्ठ—**II**	62
	परिशिष्ठ—**III**	63

*****

उद्‌बोधन

राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी आठ जिले भौगोलिक विषमताओं, बीहड़ वनों, दस्युओं के आतंक के कारण विकास की दृष्टि से पिछड़े जिलों की श्रेणी में आते हैं, इस क्षेत्र को डाँग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डाँग क्षेत्र में आर्थिक विकास के सूचकांक शिक्षा, रोजगार, सड़क, उद्योग आदि के विकास हेतु बुनियादी आधारभूत सुविधाओं की संरचना हेतु वर्ष 2004–05 में डांग विकास परियोजना का शुभारम्भ किया गया। योजना के तहत् डांग क्षेत्र के आठ जिलों क्रमशः भरतपुर, बारां, बून्दी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा एवं सवाईमाधोपुर के चिन्हित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन एवं सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण हेतु चरणबद्ध विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

इस कार्यक्रम की उपयोगिता एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु इस कार्यक्रम का मूल्यांकन इस विभाग द्वारा किया गया। मूल्यांकन प्रतिवेदन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि योजनान्तर्गत निर्मित कार्य उपयोगी एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप रहे हैं। सर्वेक्षण के समय राशि हस्तान्तरण में विलम्ब, कार्यों का समय पर पूर्ण नहीं होना एवं आवंटित बजट राशि कम होना आदि कठिनाइयाँ अनुभव की गयी थी। प्रतिवेदन में प्रलेखीय सूचनाओं, निर्मित कार्यों के भौतिक सत्यापन, अवलोकन एवं लाभार्थियों एवं कार्यकारियों से साक्षात्कारोपरान्त प्राप्त प्रतिक्रियाओं, सूचनाओं का प्रतिवेदन में यथास्थान विस्तृत विवेचन करते हुए कार्यक्रम में अनुभूत कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक सुझावों का समावेश किया गया है। आशा है सुझावों की क्रियान्विति संबंधित विभाग के लिये कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु उपयोगी सिद्ध होगी।

माह – , 2009
स्थान– जयपुर

(गुरजोत कौर)
प्रमुख शासन सचिव
आयोजना विभाग

आमुख

योजना के तहत् डाँग क्षेत्र के चिन्हित आठ जिलों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने, आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति के सृजन के प्रावधान किये गये। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम के तहत सृजित सम्पत्तियों के उपयोग, करवाये गये कार्यों की आवश्यकता एवं प्रभाव का आंकलन करने हेतु इस विभाग द्वारा योजना का मूल्याँकन किया गया।

डाँग विकास कार्यक्रम शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित कार्यक्रम है। डाँग क्षेत्र में आठ जिलों की 22 पंचायत समितियों की 371 ग्राम पंचायतें सम्मिलित है। योजना के मूल्याँकन हेतु आठ जिलों में से 4 जिलों यथा करौली, सवाईमाधोपुर, बारां एवं झालावाड़ के 89 कार्यों का चयन कर भौतिक सत्यापन किया गया। साथ ही चयनित ग्रामों के 21 समूहों से चर्चा, 254 चयनित श्रमिकों से योजना के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं मूल्यांकन दल के अवलोकन के आधार पर कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया।

मूल्याँकन प्रतिवेदन के निष्कर्षों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि योजना के तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सार्वजनिक उपयोग की परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ है। स्थानीय जनता के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई एवं अधिकांश सृजित सम्पत्तियों का उपयोग हो रहा है।

प्रतिवेदन में यथास्थान कार्यक्रम क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों की विवेचना करते हुए प्रासंगिक एवं समसामयिक सुझाव दिये गये हैं। आशा है कि सुझाव प्रशासनिक एवं कार्यकारी विभाग के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे।

दिनांक : , 2009
स्थान : जयपुर।

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

"डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I प्रस्तावना एवं योजना का कार्यक्षेत्र :

राजस्थान राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिले यथा भरतपुर, बारां, बून्दी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा एवं सवाईमाधोपुर अपनी भौगोलिक विषमताओं, बीहड़ वनों एवं दस्युओं के आतंक से डाँग क्षेत्र के ये जिलें आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। डाँग क्षेत्र में उपरोक्त 8 जिलों की 22 पंचायत समितियों की 371 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं।

II डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :

डाँग क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक सामाजिक विकास के साथ–साथ डाँग क्षेत्र में विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1995–96 से डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राज्य के 8 जिलों यथा भरतपुर, बारां, बून्दी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा एवं सवाईमाधोपुर में (वर्ष 1995–96 से 2000–01 तक) संचालित रहा, वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक वित्तीय प्रावधान नहीं होने से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अवरूद्ध रहा परन्तु डाँग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की महत्ता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक मान्नीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2004–05 के बजट में वित्त विधेयक पर जवाब प्रस्तुत करते हुए डाँग विकास परियोजना आँठों जिलों में पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है।

III वित्त पोषण एवं योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य :

योजना शत् प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है। इस योजना में विकासीय कार्यक्रमों का अन्य योजनाओं के साथ आवश्यकता होने पर डवटेलिंग किया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य जिसमें राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ/आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित करवाये जाने के प्रावधान है। राज्य स्तरीय बोर्ड की बैठक में कार्यों की वरीयता निर्धारित की जाती है।

IV **योजना का क्रियान्वयन** :

जिला स्तर पर डाँग क्षेत्रीय विकास येाजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा किया जाता है एवं स्वीकृत कार्यों को पंचायत राज संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

V **मूल्यांकन की आवश्यकता** :

डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की तृतीय बैठक में डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन करने का निर्णय लिया जाकर तदनुसार शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है।

VI **मूल्यांकन अध्ययन के उद्धेश्य** :

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करना

(iii) कार्यों की उपयोगिता/गुणवत्ता का आंकलन करना।

(iv) योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों से स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर पर हुए प्रभाव को ज्ञात करना एवं

(v) योजना के सफल/प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाइयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना

VII **न्यादर्श का चयन** :

मूल्यांकन अध्ययन के लिए न्यादर्श चयन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुए प्रथम स्तर पर 50 प्रतिशत जिलों क्रमशः करोली, सवाईमाधोपुर, बारां तथा झालावाड़ जिले का चयन किया गया। चयनित जिलों से 89 कार्यों का चयन कर भौतिक सत्यापन करते हुए 254 लाभार्थियों, 52 अधिकारी/गैर अधिकारी एवं 21 स्थानीय ग्रामवासी समूह उत्तरदाताओं से प्राप्त राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रलेख सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

VIII **सन्दर्भ अवधि** :

प्रलेखीय सूचनाओं की संदर्भ अवधि कार्यक्रम के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2006–07 तक की एकत्रित की गई तथा लाभार्थी, अधिकारी/गैर अधिकारी एवं समूह उत्तरदाताओं से प्राप्त विचार/सूचनाऐं अभिमत सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

IX राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में 500.00 लाख रूपये आवंटित हुए, आवंटन विलम्ब से होने के कारण वर्षान्त तक 20.86 लाख रूपये ही खर्च हुए एवं 479.14 लाख रूपये अवशेष रहे। वर्ष 2006–07 में योजनान्तर्गत 500.00 लाख रूपये और स्वीकृत किये गये। इस प्रकार 2005–06 की शेष राशि 479.14 लाख तथा वर्ष 2006–07 में रिलीज/जारी की गई राशि 500.00 लाख रूपये मिलाकर कुल राशि 979.14 लाख उपलब्ध रही जिसमें से 672.84 (68.73 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2006–07 में उपलब्ध राशि का उपयोग प्रारम्भिक वर्ष की तुलना में बढ़ा है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 तक कुल 883 कार्य स्वीकृत हुए जिसमें से 36 कार्य निरस्त हुए। शेष 847 कार्यों में से 558 कार्य पूर्ण हुए एवं शेष 289 (34.12 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण/शेष रहे। अतः प्रस्तावित है कि विभाग द्वारा शीघ्र निरस्त कार्यों की जगह नवीन कार्य स्वीकृत किये जावें ताकि स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोगहो एवं क्षेत्रीय विकास कार्यों में जनता को सुविधा प्राप्त हो सके। क्षेत्रीय विकास हेतु यदि वृहद योजनाओं की आवश्यकता हो तो अन्य योजनाओं के साथ डवटेल कर स्वीकृत करने पर भी विचार किया जाना प्रासंगिक होगा।

X चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

अध्ययन हेतु चयनित जिले के लिये वर्ष 2005–06 में 402.76 लाख रूपये एवं वर्ष 2006–07 में 356.26 लाख रूपये कुल 759.02 लाख रूपये स्वीकृत हुए। वर्ष 2005–06 में 402.76 लाख रूपये की स्वीकृति के विपरीत 391.49 लाख रूपये जारी हुए। इस प्रकार दोनों वर्षों में कुल 747.75 लाख रूपये जारी हुए, जिसके विपरीत दोनों वर्षों की अवधि में 524.30 लाख (70.12 प्रतिशत) रूपये व्यय हुए। दोनों वर्षों की अवधि में कुल 701 कार्य (वर्ष 2005–06 में 496, 2006–07 में 205) स्वीकृत हुए एवं वर्ष के अन्त में 465 कार्य पूर्ण एवं 35 कार्य निरस्त हुए। 1.4.07 को 201 कार्य अपूर्ण रहे। यद्यपि उत्तरोत्तर वर्षों में व्यय राशि एवं पूर्ण कार्यों की संख्या बढ़ी है, जो सकारात्मक रूख है लेकिन 30 प्रतिशत तक राशि का व्यय नहीं होना/कार्यों का पूर्ण न होना चहुंमुखी विकास की धीमी गति को उजागर करता है। जिसके लिए कार्यकारी/प्रशासनिक विभाग को प्रभावी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि संदर्भित अवधि में राज्य स्तर पर 883 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 701 कार्य चयनित चार जिलों में स्वीकृत हुए। शेष चार जिलों में इस अवधि में मात्र 182 कार्य ही स्वीकृत हुए थे।

XI चयनित कार्य एवं उनकी प्रकृति :

अध्ययन हेतु चयनित 4 जिलों की 8 पंचायत समितियों में कुल 89 कार्यों का चयन किया गया। इनमें 23(25.85 प्रतिशत) कार्य करौली, 26(29.21 प्रतिशत) कार्य सवाईमाधोपुर, 20(22.47 प्रतिशत) कार्य बारां तथा 20(22.47 प्रतिशत) कार्य झालावाड़ जिलों में चयनित किये गये। इन चयनित कार्यों में से 27(30.34 प्रतिशत) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, 22(24.72 प्रतिशत) चारदीवारी निर्माण, 26(29.21 प्रतिशत) किचनशेड निर्माण, 1(1.12 प्रतिशत) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, 5(5.63 प्रतिशत) ए.एन.एम. क्वाटर्स का निर्माण, 1(1.12 प्रतिशत) लेबर रूम निर्माण, 6(6.74 प्रतिशत) पंचायत भवन निर्माण तथा 1(1.12 प्रतिशत) पटवार भवन निर्माण से संबंधित थे।

XII कार्य स्थल का चयन :

चयनित 89 कार्यों के भौतिक सत्यापन के समय कार्यस्थल के अवलोकन एवं सर्वेक्षण अनुसार 84(94.38 प्रतिशत) कार्यस्थलों का चुनाव उपयुक्त पाया गया, 5 (5.62 प्रतिशत) कार्यस्थलों (आंगनबाड़ी/किचनशेड) का चयन धार्मिक स्थलों के पास होने, ग्राम में विवाद होने के कारण उपयोग नहीं हो रहा था। इन स्थलों पर यात्रियों द्वारा गन्दगी फैलायी जा रही थी। ग्राम पंचायतों को इन स्थलों के निर्माण के उद्धेश्यों के अनुरूप उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए।

XIII परिसम्पत्तियों का सृजन :

डाँग क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सभी उत्तरदाताओं ने स्थाई उपयोग की सार्वजनिक सम्पत्तियों का सृजन यथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, ए.एन.एम. क्वाटर्स निर्माण, पंचायत भवन, पटवार भवन का निर्माण तथा लेबर रूम का निर्माण होना बताया है, जो क्षेत्र की आधारभूत संरचना के निर्माण में काफी महत्व रखती है।

XIV कार्य स्वीकृति से पूर्व चयनित केन्द्रों की स्थिति :

अध्ययन हेतु चयनित 89 कार्यों में से 67 सेवा सम्बन्धी केन्द्र थे। उनमें 36(53.73 प्रतिशत) केन्द्र किराये के भवनों में, 10(14.93 प्रतिशत) खुले स्थानों पर, 3 अन्यत्र स्थानों पर संचालित किये जा रहे थे। 12 केन्द्र ही सरकारी भवनों में चल रहे थे तथा 6(8.96 प्रतिशत) केन्द्रों के संचालन का निश्चित स्थान नहीं था। केन्द्र संचालन में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, पटवार भवन, पंचायत भवन, पशु चिकित्सालय आदि थे जिसके फलस्वरूप स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिली है। साथ ही किराये के विरूद्ध होने वाले सरकारी व्यय की भी बचत हुई है।

XV निर्मित कार्यों की गुणवत्ता :

विभाग द्वारा प्राप्त पूर्ण कार्यों की सूची में चयनित 89 कार्यों के भौतिक सत्यापन के समय 76(85.39 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण एवं निर्मित पाये गये तथा शेष 13 कार्य अपूर्ण/अधूरे निर्मित होने के साथ–साथ कार्यों पर निर्माण कार्य चल रहा था। कार्यों की पुख्ता मॉनिटरिंग की कमी पायी गयी, इस ओर ध्यान दिया जावे। 30.38 प्रतिशत कार्यों गुणवत्ता अच्छी, 58.23 प्रतिशत की साधारण तथा 7.59 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता खराब होना पाई गई। कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये स्थानीय जन प्रतिनिधियों/SHG को जोड़ा जावे।

XVI निर्मित कार्यों का उपयोग :

मूल्यांकन दल द्वारा मौके पर चयनित 89 कार्यों का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि इनमें से पूर्ण निर्मित 76 कार्यों में से 62(81.58 प्रतिशत) कार्यों का उपयोग किया जा रहा है तथा 14(18.42 प्रतिशत) कार्यों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कई पूर्ण निर्मित कार्यों को तो सर्वे दिनांक तक संबंधित विभाग/कार्यालय को नहीं सौंपा गया है जिसके कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, जैसे ही कार्य पूर्ण होता है एक माह की अवधि में उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

XVII नियोजित श्रमिकों को प्राप्त रोजगार :

सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार डॉग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत् स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु नियोजित श्रमिकों को औसतन एक माह (15 से 60 दिवस) का रोजगार इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है।

XVIII नियोजित श्रमिकों का स्तर :

योजनान्तर्गत चयनित नियोजित 254 श्रमिकों में से 97(38.19 प्रतिशत) श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, 71(27.95 प्रतिशत) ए.पी.एल. एवं 86(33.86 प्रतिशत) अन्य पुरूष/महिलाएँ थे। अर्थात श्रमिक नियोजन में कमजोर आय वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

XIX मजदूरी की दर एवं भुगतान :

योजना के तहत् नियोजित श्रमिकों को 73 रूपये प्रतिदिन बेलदारी, 140 रूपये प्रतिदिन मिस्त्री/कारीगर के अनुसार मजदूरी प्राप्त हुई है जो मजदूरी की निर्धारित टास्क के अनुसार ही पायी गयी। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पाक्षिक अन्तराल पर एकमुश्त किया गया था।

XX योजना/कार्यक्रम की निरन्तरता :

डाँग क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्प संख्यकों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण एवं वहां के लोगों को रोजगार के अवसरों के सृजन एवं विस्तार के शासकीय संकल्प की क्रियान्विति किये जाने से आधारभूत सुविधा, संसाधनों के सृजन तथा रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में योजनान्तर्गत संचालित कार्य जनोपयोगी है। जिससे पिछड़े क्षेत्र का संतुलित विकास तो हुआ ही है साथ ही वहाँ के लोगों को आधारभूत सुविधाऐं भी उपलब्ध हुई है। जिससे योजना के क्रियान्विति की निरन्तरता प्रतिपादित हुई है।

XXI निष्कर्ष :

संक्षेप में अध्ययन हेतु चयनित इकाईयों के भौतिक सर्वेक्षण एवं चयनित लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं तथा मूल्यांकन दल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत परिसम्पत्तियों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर हुआ है। परिसम्पत्तियों के निर्माण से डाँग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। जैसे आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पोषाहार वितरण की सुविधा, स्कूल बाउण्ड्री वाल में से बच्चों की सुरक्षा एवं ए.एन.एम. क्वाटर से ए.एन.एम. की ग्राम में उपलब्धता स्वास्थ्य केन्द्र बनने में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है साथ ही परिसम्पत्तियों के सृजन से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। परिसम्पत्तियों के निर्माण की गुणवत्ता भी सतोषप्रद पायी गयी लेकिन स्वीकृत कार्यों का समय पर पूर्ण नहीं होने से डाँग क्षेत्र विकास में आधारभूत विकास की अवधारणा के अपेक्षित प्रभाव परिलक्षित नहीं हुए हैं। अतः संपत्तियों के निर्माण के पश्चात् शीघ्र संबंधित विभाग को हस्तान्तरण किया जावे जिससे सृजित कार्यों का सही व समय पर उपयोग हो सके, अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने चाहिये। राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल विभागों में समन्वय सुदृढ़ कर पुख्ता मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है, जिससे योजना का अधिकाधिक लाभ यथाशीघ्र डाँग क्षेत्र के निवासियों को प्राप्त हो सके एवं डाँग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील हो सके।

———

अध्याय–प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.0 **प्रस्तावना :**

1.1.1 राजस्थान ग्रामीण आबादी बाहुल्य प्रदेश है। राज्य में विविध परम्पराऐं, सांस्कृतिक विरासतें, भौगोलिक भिन्नताऐं एवं उपलब्ध संसाधन राज्य की अलग पहचान के साथ ही यहाँ के निवासियों की असमान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के परिचायक भी है। विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, जातिगत परम्पराऐं, क्षेत्रीय विशेषताओं आदि ने यहाँ के निवासियों की जीवनशैली को अत्यधिक प्रभावित किया है जिससे राज्य के कुछ क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़े रह गये हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से यह विषमताऐं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिलक्षित होती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 5.65 करोड़ आबादी में से 4.33 करोड़ अर्थात् 76.61 प्रतिशत आबादी ग्रामों में निवास करती है। विकास का महत्वपूर्ण सूचक शिक्षा का स्तर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में काफी कम है। राज्य की साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण साक्षरता दर 55.92 प्रतिशत ही है। भौगोलिक दृष्टि से भी अधिकांश भाग रेगिस्तानी होने के कारण राज्य सूखे एवं अकाल की विभीषिका से झूंझता रहा है। संसाधनों की कमी एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या भी निरन्तर बनी रहती है। बेरोजगारी, निर्धनता एवं अशिक्षा आदि समस्याओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सदैव आघात पहुँचा है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना कर राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों को न केवल विकास की मुख्य धारा से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है अपितु ग्रामीण विकास हेतु विपुल संसाधन उपलब्ध करवाकर ग्रामीण अंचलों में परिसम्पत्तियों का सृजन कर रोजगार के अधिक अवसर एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने का उल्लेखनीय कार्य किया है।

1.1.2 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मुख्य उद्धेश्य रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का सृजन कर ग्रामीण विकास की गति तीव्र से तीव्रतर करना है। रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के लिए सामान्य रूप से क्रियान्वित कार्यक्रमों के साथ ही विभाग द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए विशिष्ट योजनाएँ भी क्रियान्वित की जा रही है जिनमें मगरा एवं डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रमुख है।

1.1.3 डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की पृष्ठभूमि :

1.1.3.1 राजस्थान राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी जिले यथा भरतपुर, बारां, बून्दी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा एवं सवाईमाधोपुर अपनी भौगोलिक विषमताओं, बीहड़ वनों एवं दस्युओं के आतंक के कारण डांग क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। राज्य के ये जिले आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1995–96 से डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम वर्ष 1995–96 से 2000–01 तक राज्य के 8 जिलों यथा भरतपुर, बारां, बून्दी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा एवं सवाईमाधोपुर जिलों में संचालित रहा। वर्ष 2001–02 से वित्तीय प्रावधान नहीं होने से इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया परन्तु डांग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की महत्ता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मान्नीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2004–2005 के बजट में वित्त विधेयक पर जवाब प्रस्तुत करते हुए डांग विकास परियोजना को आंठों जिलों में पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है।

1.1.4 डांग क्षेत्रीय योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 2.8.05 को मान्नीय मंत्री, ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल की स्थापना की गयी। डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल के आदेश ***परिशिष्ट–I*** पर उपलब्ध है।

1.2 डांग क्षेत्रीय योजना के उद्देश्य :

(i) दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।

(ii) सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।

(iii) स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

(iv) स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यों को विकसित करने एवं उनको जीवकोपार्जन के लिये संसाधन उपलब्ध कराना।

1.3 योजना का कार्यक्षेत्र :

1.3.1 वर्ष 2005–06 से डांग क्षेत्रीय विकास योजना राज्य के 8 जिलों यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बारां, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ की 22 पंचायत समितियों की 371 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। जिसका विवरण ***परिशिष्ट II*** पर संलग्न है।

1.4 वित्त पोषण :

1.4.1 योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है। योजना को आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डवटेलिंग किया जा सकता है।

1.5 डांग क्षेत्रीय योजना की प्रमुख विशेषताएँ :

(i) योजना डांग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ii) योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है जो राज्य के अन्य योजनाओं के तहत कवर नही होते हैं एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिये लाभप्रद है।

(iii) राज्य स्तर पर डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में किया गया है जिसके माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा एवं कार्यक्रम के तहत कराये जाने वाले कार्य जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(iv) इस योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल एजेन्सी है। कार्यों का अनुमोदन डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिले की आवंटित बजट की सीमा में प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला डांग क्षेत्र विकास समिति की बैठक में कार्य/प्रस्तावों का अनुमोदन करवाया जाकर प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। इन प्राप्त प्रस्तावों का राज्य स्तर पर परीक्षण कर डांग क्षेत्र विकास मण्डल द्वारा कार्यों का अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के माध्यम से कार्यों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करवाया जाता है। विकास कार्यों की स्वीकृति ग्रामीण विकास निर्देशिका 2004 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर पर जारी किये जाने के प्रावधान है।

1.6 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :

1.6.1 योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकता है जिसमें राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित हों। योजना के तहत विभिन्न सेक्टर के कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान रखे गये। राज्य स्तरीय बोर्ड की बैठकों में कार्यों की वरीयता निर्धारित की जाती है।

1.6.2 डाँग क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह कार्यक्रम केवल डाँग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ही संचालित किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य करवाया जा सकता है जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर भी सृजित हों। योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों में उदाहरणार्थ पेयजल हेतु हैण्डपम्प/नलकूप/ट्यूबवैलसे संबंधित पेयजल के कार्य, सड़क निर्माण, सम्पर्क सड़क, पुलिया/रपट निर्माण, शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी भवन निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएँ जैसे निर्माण कार्यों के अतिरिक्त जीविकोपार्जन से सम्बन्धित परियोजनाऐं भी स्वीकृत की जा सकती हैं।

1.7 योजनान्तर्गत निषेधित कार्य :

1.7.1 योजना के तहत किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट की स्वयं की परिसम्पत्तियाँ बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती है। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण, वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति, वस्तु/सामान की खरीद, भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, धार्मिक पूजा स्थल एवं आवृतक व्यय हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

1.8 क्रियान्वयन :

1.8.1 जिला स्तर पर डाँग क्षेत्रीय विकास योजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा किया जाना है। जिला परिषद द्वारा आवंटित बजट सीमा में प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला डाँग क्षेत्र विकास समिति की बैठक में प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग को भिजवाये जाते हैं। स्वीकृत कार्य पंचायती राज संस्थान के माध्यम से संबंधित विभाग की ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाये जाते हैं। जीविकोपार्जन परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र की प्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं से भी करवाये जा सकते हैं।

1.9 मूल्यांकन की आवश्यकता :

1.9.1 डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम की दिनांक 15.5.07 को आयोजित तृतीय बैठक में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का मूल्यांकन निम्न उद्धेश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

1.10 **मूल्यांकन के उद्देश्य** :

1.10.1 डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु निम्न उद्धेश्य निर्धारित किए गये हैं :–

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,

(ii) योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर पर हुये प्रभाव को ज्ञात करना,

(iii) कार्यों की उपयोगिता/गुणवत्ता का आकलन करना,

(iv) योजनान्तर्गत निर्मित भौतिक परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करना,

(v) योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.11 **योजना की प्रगति** :

1.11.1 डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वर्ष 1995–96 से प्रारम्भ किया गया था, लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में वर्ष 2000–2001 में यह कार्यक्रम बन्द हो गया। वर्ष 2004–05 में डांग क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डांग क्षेत्रों के आठों जिलों में यह योजना पुनः प्रारम्भ की गयी। डांग योजना के तहत वर्ष 2005–06 में 500.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी, लेकिन आवंटित राशि के विलम्ब से रीलीज होने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उक्त राशि व्यय नहीं की जा सकी। वर्ष 2006–07 में गत वर्षों की उपलब्ध राशि के अतिरिक्त 500.00 लाख रुपये योजना के तहत पुनः स्वीकृत किये गये। वर्ष 2006–07 में कुल 979.14 लाख रुपये योजनान्तर्गत उपलब्ध हुये (479.14 लाख रुपये 1–4–06 को उपलब्ध एवं 500.00 लाख रुपये संदर्भित अवधि में स्वीकृत) एवं योजना के तहत 883 कार्य किये जाने की स्वीकृतियाँ दी गयी। स्वीकृत 883 कार्यों में 585 कार्य 1–4–06 से पूर्व के शेष थे एवं 298 नवीन कार्य वर्ष 2006–07 में स्वीकृत किये गये जिनमें 558 कार्य वर्ष 2006–07 में पूर्ण हुये। (परिशिष्ट–III)

1.12 **न्यादर्श चयन** :

(i) डांग योजना राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिनमें 4 जिले भरतपुर व 4 जिले कोटा संभाग के अन्तर्गत आते हैं। मूल्यांकन अध्ययन के लिये न्यादर्श चयन हेतु स्ट्रेटीफाइड़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पद्धति को अपनाते हुए सर्वप्रथम

सभी जिलों को संभागवार जमाकर संभाग को स्ट्रेटा मानते हुए प्रत्येक संभाग से 50 प्रतिशत जिलों का चयन किया गया तदनुसार भरतपुर संभाग एवं कोटा संभाग से योजना पुनः प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2006–07 तक अधिकतम कार्यों वाले दो–दो जिलों का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु करौली, सवाईमाधोपुर, बारां तथा झालावाड़ जिले का चयन किया गया। जिलों से प्रलेख सूचना संकलन के समय वर्ष 2007–08 तक की सूचनाएँ प्राप्त हो जाने से जिले की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा 2007–08 की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए की गयी है।

(ii) द्वितीय स्तर पर चयनित जिलों से संदर्भित अवधि में अधिकतम कार्य करने वाली दो–दो पंचायत समितियों का चयन किया गया।

(iii) तृतीय स्तर पर चयनित पंचायत समितियों से इसी संदर्भ अवधि में अधिकतम कार्य वाली दो–दो ग्राम पंचायतें चयनित की गई। ग्राम पंचायत के चयन में यह भी ध्यान रखा गया कि, यथासंभव चयनित ग्राम पंचायतों में उस पंचायत समिति में योजनान्तर्गत हुए सभी सैक्टर्स के कार्य चयनित हो जायें। चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम से कम 5 कार्यों का चयन किया गया। पाँच से कम कार्य होने पर उस चयनित ग्राम पंचायत के निकटतम अन्य ग्राम पंचायत का चयन कर शेष रहे कार्यों का चयन किया गया।

(iv) अन्तिम स्तर पर चयनित कार्यों पर कार्य करने वाले 3 श्रमिकों एवं चयनित कार्य के मेट से वार्ता कर उनको उपलब्ध होने वाले रोजगार संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। श्रमिक चयन में यथासंभव अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला सभी वर्गों के श्रमिकों को चयनित किया गया है।

1.13 **चयनित न्यादर्श** :

1.13.1 इस प्रकार उपर्युक्त विधि के आधार पर 4 जिलों से 8 पंचायत समितियों एवं 21 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाकर प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रकार के कार्य में 80 कार्य अनुसूचियाँ भरी गई तथा 254 श्रमिकों से वार्ता की जाकर उनके रोजगार संबंधी सूचना प्राप्त की गई। चयनित पंचायत समितियों से ग्राम पंचायतों का चयन अन्वेषक द्वारा ग्राम पंचायतवार आवंटन एवं कार्यों की सूची बनाकर कर किया गया है। चयनित न्यादर्श की विस्तृत सूचना अध्याय–चतुर्थ के मद संख्या 4.1.1.2 व 4.1.1.3 पर अंकित है।

1.14 **अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ** :

1.14.1 अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियाँ भरी गई :–

1. **प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की योजना के तहत स्वीकृत राशि, स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, निरस्त कार्य आदि सूचना प्राप्त की गई।

2. **कार्य अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित कार्य हेतु आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण, कार्य में लगने वाला समय व कार्य की उपयोगिता सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गई है।

3. **लाभार्थी अनुसूची** :

चयनित कार्यों पर कार्य करने वाले लाभार्थियों से इस अनुसूची में प्राप्त रोजगार, मजदूरी व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचना एकत्रित की गई।

4. **सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची** :

योजना से सम्बन्धित चयनित जिलों/इकाईयों के परियोजना निदेशक, विकास अधिकारी, ए.ई.एन., ग्राम सेवक, सरपंच, पटवारी आदि से इस अनुसूची में कार्यों का चयन, उपयोगिता, गुणवत्ता, कार्यक्रम के संचालन में आ रही कठिनाईयाँ एवं सुझाव एकत्रित किये गये हैं।

5. **अवलोकन टिप्पण** :

क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ग्रामीण सहभागिता अवधारण तकनीक (पी.आर.ए.) के आधार पर विस्तृत अवलोकन टिप्पण प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें चयनित ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधन, आधारभूत सुविधाएँ, कार्यक्रम की उपयोगिता, कठिनाईयाँ एवं सुझाव के साथ ही इसमें उन बिन्दुओं का समावेश किया गया है जिनकी सूचना/विचार अन्य अनुसूचियों में नहीं आ सके। अतः इस टिप्पण में तथ्यों पर आधारित गुणात्मक बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

1.15 **संदर्भ अवधि** :

1.15.1 अध्ययन रूपांकन में क्षेत्रीय कार्य हेतु इकाईयों का चयन 2006–07 की प्रगति के आधार पर किया गया (अध्ययन रूपांकन माह 2008) एवं अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से लेकर 2007–08 तक की एकत्रित की गयी। अधिकारी/गैर अधिकारी एवं लाभार्थियों के विचार सर्वे दिनांक से संबंधित हैं।

————

अध्याय–द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की रूपरेखा/स्वरूप :

2.1 राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिले डाकुओं से प्रभावित जिले डाँग क्षेत्र के अन्तर्गत माने जाते हैं। डाँग क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है एवं आधारभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रयास किये जाते रहे हैं किन्तु इस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं एवं आवश्यकतों के अनुसार वांछित बजट इस क्षेत्र को उपलब्ध नहीं हो पाया। फलस्वरूप यह क्षेत्र विकास के पैरामीटर्स यथा– शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य सामान्य क्षेत्रों से काफी पिछड़ा हुआ रहा है। अतः दस्युओं से प्रभावित डाँग क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा आंतरिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्धेश्य से डाँग क्षेत्र विकास योजना को वर्ष 2005–06 में पुनः प्रारम्भ किया गया।

2.1.1 वर्ष 2005–06 से डाँग क्षेत्रीय विकास योजना राज्य के 8 जिलों यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बारां, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ जिलों की 22 पंचायत समितियों के 371 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है तथा आवश्यक होने पर इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ डवटेलिंग किया जा सकता है।

2.1.2 योजना की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर एवं अध्ययन हेतु चयनित जिलों में जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) तथा चयनित पंचायत समितियों से प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनाओं के आधार पर इनका विश्लेषण किया गया है, जो निम्न प्रकार है।

2.2.0 राज्य स्तरीय प्रगति :

2.2.1 राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त योजना को वर्ष 2005–06 में राज्य के 2 सम्भागों के 8 जिलों को डांग क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए प्रारम्भिक वर्ष में 500.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई किन्तु आवंटित राशि विलम्ब से रिलीज होने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। योजना की प्रगति समीक्षा के लिए वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की वर्षवार एवं जिलेवार भौतिक एवं प्रगति की सूचना ग्रामीण विकास विभाग से चाही गई थी किन्तु विभाग द्वारा केवल वर्ष 2005–06 से 2006–07 तक के वर्षों की ही सूचना उपलब्ध करवाई गयी।

2.2.2 **वित्तीय प्रगति** :

2.2.2.1 योजना वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ होने एवं राशि विलम्ब से आवंटित होने से जिलेवार आवंटित राशि की सूचना उपलब्ध नहीं हुई। योजना के तहत् कुल 500 लाख रूपये की राशि राज्य स्तर पर स्वीकृत हुई थी एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचनानुसार 500.00 लाख रूपये में से 479.14 लाख रूपये की राशि 1.4.2006 को अवशेष रही तदनुसार वर्ष 2006–07 में आवंटित एवं कुल उपलब्ध राशि की सूचना निम्नानुसार पायी गयी :–

तालिका – I
राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	**डांग क्षेत्र में सम्मिलित जिला**	**1.4.2006 को शेष राशि**	**आवंटन एवं जारी राशि वर्ष 2006–07**	**वर्ष 2006–07 में कुल उपलब्ध राशि**	**व्यय राशि**	**व्यय राशि का प्रतिशत**	**1.4.2007 को शेष राशि**
1	भरतपुर	13.18	13.18	26.36	21.49	81.53	4.87
2	धौलपुर	71.01	78.55	149.56	113.97	76.20	35.59
3	करौली	60.62	60.62	121.24	59.14	48.78	62.10
4	सवाईमाधोपुर	73.55	73.55	147.10	105.51	71.73	41.59
5	बारां	133.55	133.55	267.10	201.81	75.56	65.29
6	बून्दी	26.46	26.46	52.92	39.40	74.45	13.52
7	झालावाड़	91.42	104.74	196.16	114.50	58.37	81.66
8	कोटा	9.35	9.35	18.70	17.12	91.55	1.58
	योग :	**479.14**	**500.00**	**979.14**	**672.94**	**68.73**	**306.20**

सूचना का स्त्रोत : ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचनानुसार

2.2.2.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में 500.00 लाख रूपये की राशि आवंटित/जारी की गई थी जिसमें से 479.14 लाख रूपये की राशि व्यय नहीं की जा सकी तथा 1.4.2006 को यह राशि शेष रह गई। इस संबंध में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2005–06 में उक्त राशि विलम्ब से रिलीज/उपलब्ध करवाई गई जिसके कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक राशि का जिलों का आवंटन/उपयोग नहीं किया जा सका/योजनान्तर्गत वर्ष 05–06 में 20.86 लाख रूपये संस्थापन पर व्यय हुई एवं 419.14 लाख रूपये शेष रह गई।

(ii) वर्ष 2006–07 में योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों को 500.00 लाख रूपये की राशि पुनः स्वीकृत की गई। अतः इस प्रकार पिछले वर्ष की 479.14 लाख रूपये की शेष राशि तथा इस वर्ष में रिलीज/जारी की गई। 500.00 लाख रूपये की कुल 979.14 लाख रूपये की राशि उपलब्ध रही। इस उपलब्ध राशि के विपरीत इस वित्तीय वर्ष में 672.94(68.73 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई। इस प्रकार उक्त संदर्भित वर्ष में योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध राशि में से व्यय की गई राशि के पश्चात् 306.20 लाख रूपये की राशि शेष रह गई इससे स्पष्ट है कि योजना के प्रारम्भिक वर्ष में तो उपलब्ध राशि का उपयोग काफी कम रहा एवं कार्यक्रम गति नहीं पकड़ सका किन्तु वर्ष 2006–07 में उपलब्ध राशि का उपयोग प्रारम्भिक वर्ष की तुलना में बढ़ा है।

(iii) तालिका के अवलोकन से यह भी संकेत मिलता है कि योजनान्तर्गत सम्मिलित जिलों में जितनी राशि 1.4.2006 को शेष थी। वर्ष 2006–07 में झालावाड़ जिले को छोड़कर अन्य जिलों को पिछले वर्ष की शेष राशि के बराबर–बराबर राशि आवंटित/जारी की गई है जबकि अन्य जिलों की तुलना में झालावाड़ जिले को 104.74 लाख रूपये की अधिकाधिक राशि जारी की गई है।

2.3.0 **भौतिक प्रगति** :

2.3.1 राज्य में डांग क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत भौतिक कार्यों की प्रगति संबंधी उपलब्ध करवाई गई जिलेवार सूचनाओं को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका – II

राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति

(संख्याओं में)

क्र. सं.	डांग क्षेत्र में सम्मिलित जिला	वर्ष 2005–06		1.4.2006 को अपूण/शेष कार्य	वर्ष 2006–07					
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य		नवीन स्वीकृत कार्य	कुल कार्यों की संख्या का योग	पूर्ण कार्यों की संख्या	निरस्त कार्यों की संख्या	कार्य प्रारम्भ ही नहीं किये	अपूर्ण/शेष कार्यों की संख्या
1	भरतपुर	13	–	13	9	22	16	–	–	6
2	धौलपुर	72	15	57	64	121	80	1	1	39
3	करौली	127	–	127	33	160	120	–	–	40
4	सवाईमाधोपुर	73	–	73	60	133	76	–	–	57
5	बारां	232	–	232	70	302	187	35	–	80
6	बून्दी	11	–	11	17	28	21	–	–	7
7	झालावाड़	64	–	64	42	106	49	–	–	57
8	कोटा	8	–	8	3	11	9	–	–	2
	योग :	**600**	**15**	**585**	**298**	**883**	**558**	**36**	**1**	**288**
	प्रतिशत :						**63.19**	**4.08**		**32.62**

2.3.2 डांग क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित जिलों की भौतिक प्रगति की उपरोक्त तालिका में दिये गये समंकों का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि :–

(i) उक्त तालिका में वर्ष 2005–06 में स्वीकृत कार्यों के विपरीत पूर्ण करवाये गये कार्यों के पश्चात् दिनांक 1.4.2006 को अपूर्ण/शेष रहे कार्यों की स्थिति दर्शाई गई है अर्थात वर्ष 2005–06 के वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 585 कार्य शेष रह गये। वर्ष 2005–06 में कुल 600 कार्य स्वीकृत हुए पर मात्र 15 कार्य ही पूर्ण हुए।

(ii) वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त जिलों में कुल 883 कार्यों को किया जाना था जिनमें 298 नवीन स्वीकृत कार्य एवं 585 पिछले वर्ष के शेष रहे कार्य थे। इन 883 कार्यों में से 36(4.08 प्रतिशत) कार्य निरस्त कर दिये गये एवं 558(63.19 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये जबकि 288(32.62 प्रतिशत) कार्य उक्त वित्तीय वर्ष में शेष रह गये तथा 1(0.11 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया। अतः स्पष्ट है कि, वर्ष 2006–07 में स्वीकृत कार्यों (298) की तुलना में पूर्ण कार्यों की प्रगति 558(63.19 प्रतिशत) रही।

(iii) चूंकि डांग क्षेत्र अपेक्षाकृत काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है एवं इस क्षेत्र के आधारभूत विकास करने के साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर/साधन उपलब्ध करवाने हेतु ही डांग क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन किया गया है। यद्यपि वर्ष 2006–07 में पूर्ण करवाये गये कार्यों की संख्या स्वीकृत कार्यों से लगभग दुगनी रही। इससे विभाग द्वारा प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करवाने की भावना परिलक्षित होती है तथापि सुझाव दिया जाता है कि डांग क्षेत्र में कार्यों की स्वीकृति के साथ ही उनके उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने में विभिन्न कठिनाईयाँ यथा– समय पर बजट का अभाव, निर्माण लागत में वृद्धि होना, स्टाफ की कमी, निर्माण कार्य हेतु पानी की कमी आदि रही। इन कठिनाईयों का निराकरण प्रशासनिक एवं कार्यकारी स्तर पर किया जाना वांछनीय है, ताकि समय पर प्रगति अर्जित हो सके।

2.4.0 **चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति** :

2.4.1 डांग क्षेत्र विकास योजना राज्य के 8 जिलों में वर्ष 2005–06 से क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु भरतपुर सम्भाग से करौली एवं सवाईमाधोपुर तथा कोटा सम्भाग से बारां एवं झालावाड़ जिलों का चयन किया गया। जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चयनित जिला करौली में डांग क्षेत्र में 3 पंचायत समितियाँ, चयनित जिला सवाईमाधोपुर के अधीन 2 तथा चयनित जिला बारां एवं झालावाड़ जिलों के अधीन

क्रमशः 6 एवं 2 पंचायत समितियों के भू–भाग को डांग क्षेत्र में सम्मिलित किया हुआ है। इस प्रकार चयनित जिलों में बारां जिले के सर्वाधिक 6 पंचायत समितियों के भूभाग के डांग क्षेत्र को सम्मिलित किया हुआ है, जो सबसे अधिक आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

2.4.1.1 **योजना का प्रारम्भ वर्ष** :

2.4.1.2 योजनान्तर्गत हुई कार्य प्रगति के आंकलन/समीक्षा हेतु उक्त चयनित जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों के कार्यकारियों द्वारा मूल्यांकन दल को उपलब्ध करवाई गई वांछित सूचनाओं की समीक्षा करने पर स्पष्ट हुआ है कि राज्य स्तर से प्राप्त जिलेवार सूचना एवं जिलों से प्राप्त सूचनाओं में काफी अन्तर रहा है, जो कि निम्न सारिणी के अवलोकन से अवगत होता है। राज्य स्तर पर चयनित चारों जिलों में वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल उपलब्ध राशि 731.60 लाख रुपये थी, जबकि जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार उपलब्ध राशि 570.99 लाख रुपये है, दोनों सूचनाओं में 160.61 लाख रुपये राशि का अन्तर है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर वर्ष 2006–07 में चयनित चारों जिलों की भौतिक प्रगति अनुसार कुल 719 कार्य उपलब्ध थे, जबकि चयनित जिलों से प्राप्त सूचनाओं में 576 कार्य ही उपलब्ध थे। अतः दोनों स्तर से प्राप्त सूचनाओं में 143 कार्य की सूचनाओं का अन्तर है। जिलों में जिला स्तर पर सूचनाओं का संकलन राज्य स्तर पर प्रेषित सूचनाओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

तालिका – III

राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय वित्तीय प्रगति का तुलनात्मक अन्तर

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति				जिला स्तरीय वित्तीय प्रगति			
		शेष राशि	जारी राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	शेष राशि	जारी राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय
1.	करौली	60.62	60.62	121.24	5.14	0.40	60.40	60.80	48.00
2.	सवाईमाधोपुर	73.55	73.55	147.10	105.51	65.34	78.57	143.91	100.50
3.	बांरा	133.55	133.55	267.10	201.81	57.54	131.15	188.69	120.35
4.	झालावाड़	91.42	104.74	196.16	114.20	92.25	18.14	178.39	79.49
	योग	**359.14**	**372.46**	**731.60**	**426.96**	**215.53**	**288.29**	**570.99**	**348.34**

तालिका – IV
राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का तुलनात्मक अन्तर

(संख्या में)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति				जिला स्तरीय भौतिक प्रगति			
		1.4.06 को शेष कार्य	नवीन कार्य स्वीकृति वर्ष 06–07	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	1.4.06 को शेष कार्य	नवीन कार्य स्वीकृति वर्ष 06–07	कुल कार्य	पूर्ण कार्य
1.	करौली	127	33	160	120	2	33	35	26
2.	सवाईमाधोपुर	73	60	133	76	70	63	133	78
3.	बांरा	232	70	320	187	235	67	302	187
4.	झालावाड़	64	42	106	49	64	42	106	49
	योग	**496**	**205**	**719**	**432**	**371**	**205**	**576**	**340**

2.5.0 **चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति** :

2.5.1 डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अध्ययन हेतु क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालयों द्वारा योजनान्तर्गत कार्यों की वित्तीय प्रगति से संबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की वर्षवार स्वीकृत/जारी एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका – V

चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण (राशि लाख रूपये में)										
		2005–06			2006–07				2007–08			
		स्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.06 को शेष राशि	स्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.07 को शेष राशि	स्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	करौली	60.70	60.70	60.30 (100.00)	0.40	60.40	60.80	48.00 (78.94)	2.80	65.97	78.77	45.10 (57.26)
2	सवाई–माधोपुर	65.34	65.34	निल	65.34	78.57	143.91	100.50 (69.83)	43.41	45.30	88.71	27.89 (31.44)
3	बारां	144.82	133.55	76.01 (56.92)	57.54	131.15	188.69	120.35 (63.78)	68.34	165.73	234.07	168.33 (71.92)
4	झालावाड़	131.90	131.90	39.65 (30.06)	92.25	18.14	178.39	79.49 (44.56)	98.90	105.00	203.90	152.58 (74.83)
	योग :	**402.76**	**391.49**	**175.96 (44.95)**	**215.53**	**356.26**	**571.79**	**348.34 (60.92)**	**223.45**	**382.00**	**605.45**	**393.90 (65.06)**

सूचना स्त्रोत : जिलों से प्राप्त जिला प्रलेख अनुसूची के आधार पर।

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है एवं कुल उपलब्ध राशि के प्रतिशत निकाला गया है।

2.5.1.1 जिला स्तर पर उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में :–

(i) कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में कुल 391.49लाख रूपये की राशि स्वीकृत/उपलब्ध करवाई गई थी। जिसके विपरीत उक्त वर्ष में 175.96 (44.95 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही व्यय की गयी एवं 215.53 (55.05 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि शेष रह गई। उक्त वर्ष में चयनित करौली जिले को उपलब्ध करवाई गई 60.70 लाख रूपये की राशि का शत प्रतिशत उपयोग बताया गया। सवाईमाधोपुर जिले में व्यय राशि शून्य रही तथा आवंटित/उपलब्ध 65.34 लाख रूपये की राशि में से किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया। चयनित जिला बारां एवं झालावाड़ में क्रमशः 133.55 एवं 131.90 लाख रूपये की राशि के विपरीत 76.01 (56.92 प्रतिशत) एवं 31.65 लाख रूपये (30.06 प्रतिशत) राशि का उपयोग दर्शाया गया।

(ii) वित्तीय वर्ष 2006–07 में चयनित चार जिलों को योजनान्तर्गत 356.26 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई तथा 215.53 लाख रूपये की पिछले वर्ष की शेष राशि थी इस प्रकार 571.79 लाख रूपये की कुल उपलब्ध राशि के विपरीत 348.34(60.92 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि योजनान्तर्गत व्यय की गई। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में भी 223.45 (39.08 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि शेष रह गई। चयनित जिलों में जिलेवार स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि, उक्त वर्ष में पिछले वर्ष की भांति करौली जिले में उपलब्ध 60.80 लाख रूपये की राशि के विपरीत 48.00 (78.94 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया है जो अन्य जिलों की तुलना में उपलब्ध राशि का सर्वाधिक उपयोग किया गया है जबकि झालावाड़ जिले में सबसे कम 44.56 प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया गया है। अतः उक्त वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति में वृद्धि हुई है।

(iii) योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में चयनित चारों जिलों को 382.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई तथा 223.45 लाख रूपये की पिछले वर्ष की शेष राशि उपलब्ध थी इस प्रकार 605.45 लाख रूपये की कुल उपलब्ध राशि के विपरीत 393.90 (65.06 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया तथा 211.55 लाख रूपये की राशि उक्त वर्ष में शेष रह गई। इससे स्पष्ट है कि, उक्त वर्ष में भी शत प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं किया गया। उत्तरोत्तर वर्षों में राशि व्यय बढ़ी है जो सकारात्मक रूख है, लेकिन 35 से 39 प्रतिशत राशि व्यय नहीं होना चहुमुंखी विकास की धीमी गति को उजागर करता है जिसके लिए कार्यकारी/प्रशासनिक विभाग को प्रभावी मोनिटरिंग करने की आवश्यकता है।

2.5.1.2 **राज्य एवं जिला स्तर से प्राप्त सूचनाओं में विभेद** :

जिला स्तर से प्राप्त उपरोक्त सूचनाओं एवं राज्य स्तर से प्राप्त जिलेवार सूचनाओं में विचारणीय अन्तर है जैसे कि राज्य स्तर से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2005–06 में कुल 500.00 लाख रूपये की राशि समान जिलों हेतु स्वीकृत की गयी थी जिनमें से 479.14 लाख रूपये की राशि दिनांक 1.4.06 को शेष रही। अर्थात वर्ष 2005–06 से मात्र 20.86 लाख रूपये ही व्यय हुए। इसी प्रकार राज्य स्तरीय सूचना से करौली जिले में वर्ष 2005–06 में आवंटित 60.62 लाख रूपये की राशि 1.4.06 को अवशेष दिखायी गयी थी जबकि जिला स्तर पर प्राप्त सूचनानुसार 60.70 लाख रूपये के आवंटन के विपरीत 60.30 लाख रूपये व्यय दर्शाये गये हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर बारां एवं झालावाड़ में क्रमशः 70.01 एवं 39.65 लाख रूपये का व्यय दर्शाया गया है जो कि राज्य स्तर पर एकमाही व्यय 20.86 लाख रूपये के व्यय के अनुसार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। वर्ष 2005–06 में व्यय राशि में अन्तर होने से वर्ष 2006–07 में उपलब्ध एवं अवशेष राशि में भी अन्तर परिलक्षित हो रहा है। विभाग को राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर संकलित सूचनाओं में एकरूपता रखनी चाहिए।

2.6.0 **चयनित जिलों की भौतिक प्रगति** :

2.6.1 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक चयनित जिलों में स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण एवं प्रारम्भ ही नहीं करवाये गये कार्यों की उपलब्ध करवाई गई भौतिक प्रगति संबंधी सूचनाओं का संकलित विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका – VI
वर्षवार एवं जिलेवार कार्यों की प्रगति

(संख्याओं में)

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	2005–06					2006–07						
		कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण करवाये गये कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	निरस्त कार्य	1.4.06 को शेष रहे कार्य	स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	निरस्त कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	करौली	127	125	2	–	–	2	33	35	26	9	–	–
2	सवाईमाधोपुर	70	–	21	49	–	70	63	133	78	53	2	–
3	बारां	235	–	235	–	–	235	67	302	187	80	–	35
4	झालावाड़	64	–	64	–	–	64	42	106	49	57	–	–
	योग :	**496**	**125**	**322**	**49**	**–**	**371**	**205**	**576**	**340**	**199**	**2**	**35**

.....निरन्तर

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	2007–08							
		1.4.07 को शेष रहे कार्य	स्वीकृत कार्य	योग	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	प्रारम्भ ही नहीं हुए	निरस्त कार्य	शेष कार्य (1.4.08)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1	करौली	9	39	48	16	31	1	–	32
2	सवाईमाधोपुर	55	19	74	19	42	13	–	55
3	बारां	80	92	172	105	58	–	9	58
4	झालावाड़	57	51	108	76	24	8	–	32
	योग :	**201**	**201**	**402**	**216**	**155**	**22**	**9**	**177**

2.6.1.1 उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित भौतिक कार्य प्रगति के समंकों का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि :–

(i) डांग क्षेत्र विकास योजना के प्रारम्भि वर्ष (2005–06) में चयनित चार जिलों में कुल 496 कार्य स्वीकृत किये गये जिसके विपरीत 125 (25.20 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये। इन चयनित चार जिलों में से केवल करौली जिले में ही 127 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 125 कार्य पूर्ण किये गये। शेष किसी भी जिले में स्वीकृत कार्यों के विपरीत निर्मित/पूर्ण कार्यों की प्रगति शून्य रही है। कार्यों की प्रगति शून्य रहने पर भी जिलों में योजना के तहत् व्यय दर्शाया जाना विरोधाभासी है। विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना के प्रारम्भिक वर्ष में योजना को गति प्रदान नहीं की जा सकी। **राज्य स्तर पर प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2005–06 में कुल 600 कार्य स्वीकृत थे जिनमें से धौलपुर में 72 कार्य स्वीकृत में से मात्र धौलपुर में 15 कार्यपूर्ण हुये थे, शेष सभी जिलों की प्रगति शून्य बतायी गई है।**

(ii) राज्य स्तर पर प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2005–06 से मात्र धौलपुर में 15 कार्य पूर्ण हुए थे। शेष सभी जिलों की प्रगति शून्य बतायी गयी थी। वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 576 कार्यों में 205 नवीन कार्य स्वीकृत किये गये तथा 371 कार्य पिछले वित्तीय वर्ष के शेष बचे हुए कार्य थे। इन 576 कार्यों में से बारां जिले में 35 कार्यों को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार शेष कुल 541 कार्यों के विपरीत 340 (62.85 प्रतिशत) कार्यों को पूर्ण किया गया। 199 कार्य अपूर्ण रहे तथा सवाईमाधोपुर जिले में 12 कार्यों को प्रारम्भ ही नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में 201 कार्य शेष रह गये। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित जिलों में से करौली जिले को छोड़कर सवाईमाधोपुर, बारां एवं झालावाड़ जिले में कार्य अपूर्ण अधिक रहे। राज्य स्तर पर प्राप्त सूचनानुसार यद्यपि बारां, सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़ में आलोच्य वर्ष में पूर्ण करवाये गये कार्यों की संख्या में एवं जिला स्तर से प्राप्त सूचना में एकरूपता पायी गयी है लेकिन करौली जिले की सूचना से अन्तर है। राज्य स्तर पर करौली जिले से 120 कार्य पूर्ण दर्शाये गये हैं जबकि जिला स्तर पर 26 कार्य पूर्ण बताये गये। इससे ऐसा आभास होता है कि राज्य स्तर पर करौली में वर्ष 2005–06 में स्वीकृत कार्य वर्ष 2006–07 में पूर्ण दर्शाये गये हैं जबकि जिला स्तर पर वर्ष 2005–06 के कार्य उसी वर्ष पूर्ण दर्शाये गये। जिला स्तर पर सूचना संकलन एवं प्रेषण में एकरूपता होनी चाहिए।

(iii) वित्तीय वर्ष 2007–08 की उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/समंकों से परिलक्षित होता है कि, चयनित चारों जिलों में पिछले वित्तीय वर्ष के 201 शेष/अपूर्ण रहे कार्यों के अतिरिक्त 201 नवीन कार्यों को करने की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की गई। इस प्रकार कुल 402 कार्यों में से 9 कार्यों को निरस्त करने के उपरान्त कुल शेष 393 कार्यों के विपरीत 216 (54.96 प्रतिशत) कार्यों को ही पूर्ण किया गया एवं 177 कार्य पूर्ण नहीं किये गये। इनमें से 22 कार्य तो प्रारम्भ ही नहीं किये गये। विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि चयनित चारों जिलों में लगातार संदर्भित वर्षों में करौली जिले में कार्यों को गति प्रदान की गई है। शेष अन्य जिले में कार्य प्रगति धीमी रही है तथा योजना को गति नहीं मिल पाई। किसी भी लगातार संदर्भित वर्षों में स्वीकृत कार्यों को समय पर/उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किया गया एवं अपूर्ण कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष में शेष रहना बताया गया। योजना के प्रारम्भिक वर्ष में तो स्वीकृत कार्यों के विपरीत करौली जिले को छोड़कर अन्य चयनित जिलों में कार्य प्रगति शून्य रही है। नोडल एजेन्सी एवं क्रियान्वित एजेन्सी के मध्य समन्वय का अभाव है एवं कार्यों की समय–समय पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। स्वीकृत/जारी की गई राशि एवं स्वीकृत कार्यों को निर्धारित वित्तीय वर्ष/समयावधि में पूर्ण नहीं करने से जहाँ एक और निर्माण लागत में तो वृद्धि होती ही है साथ ही कार्यक्रम को भी गति नहीं मिल पाती है जिससे योजना के उद्धेश्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यद्यपि विभाग द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था कर कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

2.7.0 **चयनित जिलों में सेक्टरवार कार्यों की प्रगति** :

2.7.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में योजनान्तर्गत सेक्टरवार करवाये गये कार्यों की प्रगति के आंकलन हेतु चयनित जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) कार्यालय के कार्यकारियों द्वारा अध्ययन दल को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार योजना के प्रारम्भिक वर्ष (2005–06) से 2007–08 तक की इकजाई सेक्टरवार कार्य प्रगति का विवरण निम्न सारिणी में उपदर्शित किया गया है :–

तालिका – VII

चयनित जिलों में योजनान्तर्गत सेक्टरवार करवाये गये कार्यों का इकजाई विवरण

क्र. सं.	सेक्टर का नाम	वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के कार्यों की इकजाई संख्या									
		करौली		सवाईमाधोपुर		बारां		झालावाड़		योग	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	शिक्षा	118	116	112	69	251	209	48	36	529	430 (81.29)
2	चिकित्सा	19	15	3	2	31	19	27	16	80	52 (65.00)
3	महिला एवं बाल विकास	53	27	37	26	95	47	60	55	245	155 (63.27)
4	पंचायती राज	9	9	–	–	2	2	17	14	28	25 (89.29)
5	पशुपालन	–	–	–	–	2	2	–	–	2	2 (100.00)
6	सिंचाई	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1 (100.00)
7	पेयजल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	अन्य	–	–	–	–	12	12	5	4	17	16 (94.12)
	योग :	**199**	**167**	**152**	**97**	**394**	**292**	**157**	**125**	**902**	**681 (75.50)**

2.7.1.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित किये गये उपरोक्त चारों जिलों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में सेक्टरवार करवाये गये इकजाई कार्यों की उक्त सारिणी का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि, तीनों वर्षों की संदर्भित अवधि में कुल 902 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 681(75.50 प्रतिशत) कार्य विभिन्न सेक्टर्स में करवाये गये हैं एवं 221(24.50 प्रतिशत) शेष रह गये।

2.7.1.2 सारणी के अवलोकन से यह जानकारी भी मिलती है कि सन्दर्भित अवधि में चयनित जिलों के लिए विभिन्न सेक्टर्स के लिए स्वीकृत कुल 902 कार्यों में से 529 कार्य शिक्षा सेक्टर्स के लिए स्वीकृत किये गये तथा इन 529 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 430 (81.29 प्रतिशत) कार्य शिक्षा सेक्टर्स के निर्मित करवाये गये हैं जिसको सभी चयनित जिलों ने आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की है। शिक्षा के बाद चिकित्सा क्षेत्र की आवश्यकता को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत 80 कार्यों के विपरीत 52(65.00 प्रतिशत) तथा महिला एवं बाल विकास विभाग क्षेत्र के लिए स्वीकृत 245 कार्यों के विपरीत 155(63.27 प्रतिशत) कार्यों को किया गया है। पंचायती राज विभाग (सेक्टर) के 28 स्वीकृत कार्यों के विपरीत 25(89.29 प्रतिशत) तत्पश्चात अन्य विविध सेक्टर्स के लिए 17 स्वीकृत कार्यों में से 16(94.12 प्रतिशत) कार्य किये गये हैं। पशुपालन सेक्टर एवं सिंचाई सेक्टर्स में क्रमशः 2 एवं 1 अर्थात स्वीकृत शत प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया गया है। संदर्भ अवधि में पेयजल के लिए कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या प्रायः काफी तीव्र स्तर पर होती है। अतः यदि आवश्यकता हो तो डांग विकास समिति की बैठक में पेयजल समस्या निराकरण हेतु पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्यों की स्वीकृति पर ध्यान देना चाहिए।

2.7.1.3 अतः उक्त विभागवार/सेक्टरवार कार्यों की प्रगति से स्पष्ट होता है कि, योजनान्तर्गत मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है जो डांग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए काफी महत्व रखते हैं एवं इन कार्यों के माध्यम से वे अपने जीवन की आवश्यकता की तलाश करते हैं।

2.8.0 चयनित पंचायत समितियों की स्थिति :

2.8.1 डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु अध्ययन रूपांकन (Study Design) के अनुसार चयनित जिलों में 2–2 पंचायत समितियों का चयन किया गया। जिनके अन्तर्गत करौली जिले में करौली एवं सपोटरा, सवाईमाधोपुर जिले में खण्डार एवं गंगापुर सिटी, बारां जिले में छबड़ा एवं अटरू तथा झालावाड़ जिले में मनोहरथाना एवं बकानी पंचायत समितियों का चयन किया गया। इस प्रकार चयनित 4 जिलों की 8 पंचायत समितियों का चयन किया गया।

2.8.1.1 अध्ययन हेतु चयनित की गई उक्त पंचायत समितियों में योजनान्तर्गत हुई वित्तीय एवं भौतिक कार्य प्रगति के आंकलन हेतु अध्ययन दल को पंचायत समितियों के कार्यकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की पंचायत समितिवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

2.8.2 **वित्तीय प्रगति** :

2.8.2.1 योजनान्तर्गत वर्षवार एवं चयनित पंचायत समितिवार वित्तीय प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गई है :–

तालिका – VIII
वर्षवार एवं चयनित पंचायत समितिवार वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति		वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण (राशि लाख रूपये में)						
				2005–06			2006–07			
				स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	1.4.06 को शेष राशि	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	करौली	1	करौली	24.20	24.20	0.76	23.44	24.40	47.84	25.01
		2	सपोटरा	32.60	32.60	32.60	–	30.00	30.00	19.50
2	सवाईमाधोपुर	3	खण्डार	42.85	42.85	–	42.85	62.21	105.06	66.14
		4	गंगापुर सिटी	22.49	22.49	–	22.49	16.36	38.85	34.36
3	बारां	5	छबड़ा	31.60	30.00	20.66	9.34	27.35	36.69	23.35
		6	अटरू	29.80	29.80	10.70	19.10	19.95	39.05	19.85
4	झालावाड़	7	मनोहर थाना	61.90	61.90	21.20	40.70	37.20	77.90	45.30
		8	बकानी	70.00	70.00	18.45	51.55	48.94	100.49	34.19
			योग :	**315.44**	**313.84**	**104.37**	**209.47**	**266.41**	**475.89**	**267.70**

.....निरन्तर

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति		वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण (राशि लाख रूपये में)						
				2007–08				योग		
				1.4.07 को शेष राशि	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	कुल स्वीकृत राशि	व्यय राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18
1	करौली	1	करौली	22.83	27.20	50.03	25.52	75.80	51.29	67.66
		2	सपोटरा	10.50	33.60	44.10	28.60	96.20	80.70	83.89
2	सवाईमाधोपुर	3	खण्डार	38.92	21.20	60.12	25.04	126.26	91.18	72.22
		4	गंगापुर सिटी	4.49	24.10	28.59	2.85	62.95	37.21	59.11
3	बारां	5	छबड़ा	13.34	31.11	44.45	26.00	90.06	70.01	77.74
		6	अटरू	19.20	27.73	46.93	27.93	77.48	58.48	75.48
4	झालावाड़	7	मनोहर थाना	32.60	35.01	67.61	51.79	134.11	118.29	88.20
		8	बकानी	66.30	69.99	136.29	100.79	188.93	153.43	81.21
			योग :	**208.18**	**269.94**	**478.12**	**288.52**	**851.79**	**660.59**	**77.55**

2.8.2.2 उपरोक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि :–

(i) संदर्भित गत तीन वर्षों में चयनित जिलों में चयनित की गई 8 पंचायत समितियों को कुल 851.79 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसके

विपरीत 660.59(77.50 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि उक्त अवधि में व्यय की गई तथा 191.20 लाख रूपये की राशि शेष रह गई। सारिणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि संदर्भित अवधि में सर्वाधिक राशि मनोहरथाना एवं बकानी पंचायत समितियों को क्रमशः 134.11 लाख रूपयं एवं 188.93 लाख रूपये कुल 323.04 लाख रूपये स्वीकृत की गई है जबकि बारां एवं अटरू पंचायत समितियों को क्रमशः 90.06 एवं 77.48 लाख रूपये कुल 167.54 लाख रूपये की स्वीकृत की गई है, स्वीकृत राशि संभवतः उस क्षेत्र की भौगोलिक एवं सामाजिक/आर्थिक आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हो सकती है।

(ii) सारिणी में दिये गये समंकों का अवलोकन करने से यह जानकारी भी मिलती है कि योजना के प्रारम्भिक वर्ष (2005–06) में करौली पंचायत समिति को स्वीकृत क्रमशः 24.20 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत केवल 0.76 (3.14 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई है एवं 23.44 लाख रूपये की राशि शेष रह गई। इसी प्रकार सवाईमाधोपुर जिले की खण्डार एवं गंगापुरसिटी को स्वीकृत क्रमशः 42.85 एवं 22.49 लाख रूपये की राशि के विपरीत योजनान्तर्गत व्यय राशि शून्य रही है। अर्थात उक्त वर्ष में कोई भी व्यय नहीं किया गया एवं स्वीकृत राशि शेष रह गई। इससे यह स्पष्ट है कि, योजना का प्रारम्भिक वर्ष में स्वीकृत राशि का उपयोग कम हुआ है।

2.9.0 भौतिक कार्यों की स्थिति :

2.9.1 योजनान्तर्गत वर्षवार एवं चयनित पंचायत समितिवार स्वीकृत एवं पूर्ण करवाये गये कार्यों की स्थिति निम्न सारिणी में दर्शाई गई है :–

तालिका – IX

वर्षवार एवं चयनित पंचायत समितिवार स्वीकृत एवं पूर्ण करवाये गये कार्यों की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति		वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति (संख्याओं में)					
				2005–06		2006–07			
				स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	1.4.06 को शेष रहे कार्य	स्वीकृत कार्य	कुल कार्यों का योग	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	करौली	1	करौली	55	निल	55	14	69	40
		2	सपोटरा	65	65	निल	16	16	9
2	सवाई माधोपुर	3	खण्डार	49	निल	49	47	96	49
		4	गंगापुर सिटी	21	निल	21	16	37	29
3	बारां	5	छबड़ा	51	निल	51	13	64	50
		6	अटरू	43	निल	43	10	53	40
4	झालावाड़	7	मनोहर थाना	34	निल	34	23	57	23
		8	बकानी	30	निल	30	19	49	26
			योग :	**348**	**65 (18.68)**	**283**	**158**	**441**	**266 (60.32)**

.....निरन्तर

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति		वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति (संख्याओं में)					
				2007–08				योग	
				1.4.07 को शेष रहे कार्य	स्वीकृत कार्य	कुल कार्यों का योग	पूर्ण कार्य	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
1	करौली	1	करौली	29	17	46	11	86	51 (59.30)
		2	सपोटरा	7	21	28	11	102	85 (83.33)
2	सवाई माधोपुर	3	खण्डार	47	11	58	19	107	68 (63.55)
		4	गंगापुर सिटी	8	8	16	निल	45	29 (64.44)
3	बारां	5	छबड़ा	14	17	31	18	81	68 (83.95)
		6	अटरू	13	14	27	21	67	61 (91.04)
4	झालावाड़	7	मनोहर थाना	34	23	57	43	80	66 (82.50)
		8	बकानी	23	28	51	33	77	59 (76.62)
			योग :	**175**	**139**	**314**	**156 (49.68)**	**645**	**487 (75.50)**

2.9.2 उपरोक्त सारिणी का अवलोकन करने पर निम्नांकित तथ्य उभरकर सामने आते हैं :–

(i) योजनान्तर्गत योजना के प्रारम्भिक वर्ष (2005–06) में अध्ययन हेतु चयनित की गई 8 पंचायत समितियों में कुल 348 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिसके विपरीत उक्त वर्ष में केवल 65(18.68 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये एवं 283 कार्य शेष रह गये। चयनित की गई पंचायत समितियों में से करौली जिले की सपोटरा पंचायत समिति के द्वारा ही स्वीकृत 65 कार्यों के विपरीत 65 (शत प्रतिशत) कार्य सम्पादित किये गये। शेष पंचायत समितियों में कार्य की प्रगति शून्य रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, योजना के प्रारम्भिक वर्ष में कार्य प्रगति सन्तोषप्रद नहीं रही है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2006–07 में चयनित पंचायत समितियों में 158 नवीन कार्य स्वीकृत किये गये एवं 283 कार्य पिछले वर्ष के शेष थे, इस प्रकार उक्त वर्ष में कुल 441 कार्यों को किया जाना था, जिसके विपरीत 266(60.32 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये तथा 175 कार्य शेष रह गये। अतः उक्त वर्ष में कार्यों को गति तो प्रदान की गई किन्तु स्वीकृत/शेष कार्यों को पूर्ण रूप से शत प्रतिशत गति नहीं दी गई एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 175(39.68 प्रतिशत) कार्य शेष रह गये।

(iii) वित्तीय वर्ष 2007–08 में उक्त चयनित पंचायत समितियों में 139 नवीन कार्य स्वीकृत किये गये तथा 175 कार्य पिछले वर्ष के शेष रहे कार्य थे। इस प्रकार कुल 314 कार्यों को उक्त वर्ष में किया जाना था किन्तु इसके विपरीत केवल 156(49.68 प्रतिशत) कार्यों को ही पूर्ण किया गया एवं 158(50.32 प्रतिशत) कार्य शेष रह गये।

(iv) चयनित की गई पंचायत समितियों में संदर्भित वर्षों में करौली जिले की सपोटरा पंचायत समिति में वर्ष 2005–06 से 2007–08 में लगातार तीनों वर्षों में स्वीकृत कार्यों के विपरीत कार्यों को पूर्ण करवाने में गति प्रदान की है किन्तु अन्य पंचायत समितियों द्वारा कार्यों को गति नहीं दी गई। अतः जिला स्तर पर इस तथ्य की समीक्षा कर सभी पंचायत समितियों में कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की कार्य योजना बनाकर निर्देशित किया जाना चाहिए।

(v) योजनान्तर्गत उक्त लगातार संदर्भित वर्षों में सर्वाधिक 107 कार्य सवाईमाधोपुर जिले की खण्डार पंचायत समिति में स्वीकृत किये गये जबकि इसी जिले की गंगापुर सिटी में सबसे कम केवल 45 कार्य ही स्वीकृत हुए जिसके विपरीत क्रमशः 68(63.55 प्रतिशत) एवं 29(64.44 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये।

2.9.3 अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संदर्भित वर्षों में चयनित पंचायत समितियों में स्वीकृत किये गये कार्यों में से अपवाद स्वरूप सपोटरा पंचायत समिति को (वर्ष 2005–06 में) छोड़कर किसी भी पंचायत समिति ने उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य को पूर्ण नहीं किया एवं शेष कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के लिए शेष छोड़ दिया गया। किसी भी पंचायत समिति द्वारा लगातार शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित नहीं की जा सकी। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, योजना/कार्यों की मॉनिटरिंग/निरीक्षण का अभाव रहा है, जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागीय/जिला स्तर पर कार्यों की समय–समय पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए तथा उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि स्वीकृत कार्य निश्चित समयावधि में ही पूर्ण किये जा सके। स्वीकृत कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष/अवधि में पूर्ण करने के प्रयास किये जावें इससे लागत में भी कमी आवेगी।

2.10.0 **योजनान्तर्गत पूर्ण किये गये सेक्टरवार कार्य** :

2.10.1 चयनित की गई 8 पंचायत समितियों के कार्यकारियों द्वारा अध्ययन के संदर्भित वर्षों (2005–06 से 2007–08) में डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सेक्टरवार पूर्ण करवाये गये कार्यों की उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं का संकलित विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका X
पंचायत समितिवार सेक्टरवार पूर्ण कार्यों की स्थिति

क्र. सं.	सेक्टर का नाम	चयनित पंचायत समिति एवं पूर्ण कार्यों की संख्या								
		करौली	सपोटरा	खण्डार	गंगापुर सिटी	छबड़ा	अटरू	मनोहर थाना	बकानी	योग
1	शिक्षा	42	59	51	18	56	41	8	28	303 (62.22)
2	चिकित्सा	2	9	2	—	4	4	6	10	37 (7.60)
3	महिला एवं बाल विकास	5	11	15	11	5	14	45	10	116 (23.82)
4	पंचायती राज	2	6	—	—	2	—	4	11	25 (5.13)
5	अन्य	—	—	—	—	1	2	3	—	6 (1.23)
	योग :	**51**	**85**	**68**	**29**	**68**	**61**	**66**	**59**	**487 (100.00)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.10.1.1उपरोक्त तालिका में सेक्टरवार पूर्ण किये गये कार्यों के समंकों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि :–

(i) संदर्भित तीनों वर्षों (2005–06 से 2007–08) में चयनित की गई पंचायत समितियों में प्राथमिकता के आधार पर सेक्टरवार पूर्ण किये गये कुल 487 कार्यों में से सर्वाधिक 303 (62.22 प्रतिशत) कार्य शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। जिन्हें वहाँ के स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर पूर्ण करवाकर शिक्षा क्षेत्र के ढाँचागत विकास को प्रोत्साहित किया गया है ताकि डांग क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के बच्चों को इसका लाभ मिल सके तथा शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। बच्चों में शिक्षा के द्वारा स्थानीय समस्याओं/विकास कार्यों को समझने की क्षमता का विकास होगा।

(ii) चयनित की गई पंचायत समिति में किये गये सेक्टरवार कार्यों में द्वितीय प्राथमिकता महिला बाल विकास विभाग को देते हुए 116(23.82 प्रतिशत) कार्य महिला एवं बाल विकास सेक्टर में, 37(7.60 प्रतिशत) कार्य चिकित्सा सेक्टर के, 25(5.13 प्रतिशत) कार्य पंचायती राज सेक्टर तथा 6(1.23 प्रतिशत) कार्य अन्य क्षेत्र/सेक्टर में पूर्ण किये गये हैं। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित पंचायत समितियों में स्थानीय आवश्यकता/महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेक्टर्स में कार्य करवाये गये हैं जिनमें शिक्षा के क्षेत्र में डांग क्षेत्र के बच्चों को स्कूल में प्रवेशित किया जाना, स्कूलों का निर्माण कर उन्हें शिक्षा देना आदि, महिला एवं बाल विकास अन्तर्गत आंगनबाड़ी पर बच्चों को शिक्षित करना, पोषाहार आदि उपलब्ध करवाना तथा चिकित्सा सेक्टर में बच्चों का टीकाकरण, दवाईयाँ, प्रसूती महिलाओं को सहायता पहुंचाना आदि कार्यों को सबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है।

————

अध्याय–तृतीय

योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की भौतिक स्थिति

3.0 चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन :

3.1.1 चयन की गई पंचायत समितियों में डांग क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक में पूर्ण किये गये कार्यों की सूची तैयार कर उनमें चयनित किये गये कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन दल द्वारा स्थानीय जन–प्रतिनिधियों, पंचायत समिति के अभियन्ता, पंचायत सचिव, पटवारी के साथ मौके पर निर्मित कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं विभिन्न पक्षों पर सूचना एकत्र की गयी जिसका विवरण आगामी आलेख में अंकित है।

3.1.2 इस प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित पंचायत समितियों में पूर्ण किये गये कार्यों में से 89 कार्यों का चयन किया गया जिन्हें 8 श्रेणियों में विभाजित कर उनका विश्लेषण किया गया है जिनमें चयनित जिलों की चयनित की गई पंचायत समितियों के करौली जिले में 23, सवाईमाधोपुर जिले में 26, बारां जिले के 20 एवं झालावाड़ जिले के 20 कार्यों को चयनित कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया है।

3.2.0 चयनित किये गये कार्यों का विवरण :

3.2.1 अध्ययन हेतु संदर्भित वर्षों में पूर्ण किये गये जिन चयनित 89 कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है उनका पंचायत समितिवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्न सारिणी में प्रस्तुत किया गया है :–

तालिका I

पंचायत समितिवार एवं श्रेणीवार कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्यों का नाम/ कार्यों का श्रेणीवार विवरण	जिलेवार पंचायत समितियों में चयनित किये गये कार्यों की संख्या								
		करौली		सवाईमाधोपुर		बारां		झालावाड़		योग
		करौली	सपोटरा	खण्डार	गंगापुर सिटी	छबड़ा	अटरू	मनोहर थाना	बकानी	
1	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	4	2	4	4	2	4	5	2	27
2	चारदीवारी निर्माण	–	–	6	5	3	1	3	4	22
3	किचनशैड निर्माण	8	5	3	2	3	5	–	–	26
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	–	–	1	–	–	–	–	–	1
5	ए.एन.एम. क्वाटर्स का निर्माण	1	–	1	–	1	–	1	1	5
6	लेबर रूम	–	–	–	–	–	–	–	1	1
7	पंचायत भवन निर्माण	1	2	–	–	1	–	–	2	6
8	पटवार भवन निर्माण	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	योग :	**14**	**9**	**15**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**	**89**

3.2.1.2 **चयनित कार्यों की स्वीकृत एवं व्यय राशि की स्थिति** :

3.2.1.3 डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित किये गये उपरोक्त जिन कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है उनके मदवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण निम्न सारणी में अंकित किया गया है :–

तालिका II

कार्यों पर श्रम–सामग्री पर व्यय विवरण

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित कार्यों की संख्या	चयनित कार्यों के लिए कुल स्वीकृत राशि	चयनित कार्यों पर मदवार व्यय की गई राशि		कुल व्यय	प्रतिशत
				श्रम पर	सामग्री पर		
1	करौली	14	13.10	2.48	8.93	11.41	87.10
2	सपोटरा	9	7.88	1.67	6.18	7.85	99.62
3	खण्डार	15	19.61	4.82	13.12	17.94	91.48
4	गंगापुर सिटी	11	16.85	2.97	8.86	11.83	70.21
5	छबड़ा	10	17.17	4.19	12.85	17.04	99.24
6	अटरू	10	9.25	2.28	6.97	9.25	100.00
7	मनोहर थाना	10	16.55	3.76	12.79	16.55	100.00
8	बकानी	10	19.35	5.96	12.54	18.50	95.61
	योग :	**89**	**119.76**	**28.13**	**82.24**	**110.37**	**92.16**

सूचना का स्त्रोत : पंचायत समिति से प्राप्त प्रलेख अनुसूची अनुसार।

3.2.1.4 उक्त सारिणी में दिये गये समंकों का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि :–

(i) अध्ययन हेतु चयनित कार्यों पर स्वीकृत राशि के अनुसार ही व्यय किया गया है, किसी भी पंचायत समिति में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया गया है एवं यह स्थिति सभी पंचायत समितियों में समान रूप से लागू है। इस स्थिति को कार्यों के अनुसार देखने पर पाया कि सभी कार्यों पर राशि का व्यय स्वीकृति सीमा के अनुसार ही किया गया है।

(ii) प्राप्त सूचना से यह भी परिलक्षित होता है कि, डांग क्षेत्र विकास कार्यों अन्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है उसमें श्रम की अपेक्षा सामग्री पर अधिक व्यय हुआ है जो प्रावधानानुसार है।

3.3.0 **कार्य की व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र** :

3.3.1 चयनित 89 में से 76(85.39 प्रतिशत) कार्यों पर हुए व्यय के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित कर दिये गये थे, जो कि निम्न तालिका में स्पष्ट हुआ है :–

तालिका III

चयनित पंचायत समितियों में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र का विवरण

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित कार्यों की संख्या	क्या निर्मित/पूर्ण किये गये कार्यों की व्यय राशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवा दिये गये ? (संख्याओं में)	
			हाँ	नहीं
1	करौली	14	12	2
2	सपोटरा	9	7	2
3	खण्डार	15	14	1
4	गंगापुर सिटी	11	6	5
5	छबड़ा	10	9	1
6	अटरू	10	10	–
7	मनोहर थाना	10	10	–
8	बकानी	10	8	2
	योग :	**89**	**76 (85.39)**	**13 (14.61)**

( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है

3.3.2 भौतिक सत्यापन के दौरान अध्ययन दल द्वारा जिन 13 कार्यों पर यू.सी. होने की जानकारी लिखी थी जिला परिषद को समय पर यू.सी. जारी करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे पूर्ण हुए कार्यों का हस्तान्तरण/उपयोग का लाभ जनता को समय पर मिल सके।

3.4.0 **निर्माण कार्य ऐजेन्सी** :

3.4.1 भौतिक सत्यापन के समय क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा दी गयी सूचनानुसार समस्त कार्यों का निर्माण उसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया गया था, जो योजना के प्रावधानों के अनुकूल था।

3.5.0 **चयनित कार्यों का स्वीकृति वर्ष** :

3.5.1 अध्ययन के दौरान भौतिक सत्यापन हेतु चयनित किये गये कुल 89 कार्यों को योजनान्तर्गत किस–किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया, तत्संबंधी जानकारी करने पर जो सूचनाऐं प्राप्त हुई उनका पंचायत समितिवार एवं वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका IV

पंचायत समितिवार वर्षवार चयनित कार्यों की स्वीकृति

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित कार्यों की संख्या	चयनित कार्यों की वर्षवार स्वीकृति		
			2005–06	2006–07	2007–08
1	करौली	14	10	2	2
2	सपोटरा	9	7	2	–
3	खण्डार	15	5	5	5
4	गंगापुर सिटी	11	5	4	2
5	छबड़ा	10	6	1	3
6	अटरू	10	7	2	1
7	मनोहर थाना	10	5	3	2
8	बकानी	10	5	2	3
	योग :	**89**	**50**	**21**	**18**

3.5.1.1 उपरोक्त सूचनाओं से ज्ञात होता है कि, चयनित पंचायत समितियों में अध्ययन हेतु चयनित कुल 89 कार्यों में से 50 कार्य वर्ष 2005–06 में, 21 कार्य वर्ष 2006–07 में तथा 18 कार्यों को वर्ष 2007–08 में स्वीकृत किया गया है।

3.6.0 **कार्यस्थल का चयन एवं उपयुक्तता** :

3.6.1 मूल्यांकन दल द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के समय कार्यस्थल के अवलोकन एवं सर्वेक्षण के समय उपस्थित कार्यकारी/ग्रामवासियों के अभिमत के अनुसार 89 में से 84(94.38 प्रतिशत) कार्यस्थलों का चुनाव उपयुक्त था। 4 कार्यस्थलों (आंगनबाड़ी/किचनशैड) का चयन ग्राम समूहों के अनुसार उपयुक्त नहीं था।

3.6.1.1 जब चयनित ग्रामवासी समूहों से कार्यस्थल के चयन सम्बन्धी जानकारी की गई तो 2 ग्रामवासी समूहों ने आंगनबाड़ी केन्द्र एवं किचनशेड व कार्यस्थल का चयन सही नहीं होना अवगत करवाया है क्योंकि गाँव/बस्ती से दूरी है एवं रास्ता ठीक नहीं है।

3.6.1.2 अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यों का कार्यस्थल का चयन उपयुक्त एवं सही है तथा कार्यस्थल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चयन किया गया है।

3.7.0 **कार्य की प्रकृति** :

3.7.1 सर्वेक्षण दल द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के निष्कर्षानुसार चयनित समस्त 89 कार्य योजनान्तर्गत संदर्भित अवधि में ही स्वीकृत हुए थे। योजना के तहत् किसी पुराने अपूर्ण कार्य को अथवा अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्य को नहीं करवाया गया था।

3.8.0 **कार्य स्वीकृति से पूर्व केन्द्रों की स्थिति** :

3.8.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये 89 कार्यों की स्वीकृति से पूर्व उनमें से जन सुविधा/सेवा से सम्बन्धित केन्द्र कहाँ एवं किस प्रकार संचालित किये जा रहे थे? तत्संबंधी जानकारी की गई। इस संबंध में उपलब्ध करवाई गई जानकारी का विवरण निम्न सारिणी में अंकित किया गया है :–

तालिका V

स्वीकृति से पूर्व सेवा केन्द्रों की स्थिति

क्र. सं.	संचालित केन्द्रों का विवरण	कुल केन्द्रों की संख्या	कार्य स्वीकृति से पूर्व सेवा केन्द्रों के संचालन की भौतिक स्थिति				
			किराये के भवन में	सरकारी भवन में	खुले स्थान पर	अन्यत्र स्थान पर	कहीं भी नहीं
1	आंगनबाड़ी केन्द्र	27	26	—	1	—	—
2	किचनशैड	26	3	9	9	—	5
3	पंचायत भवन	6	2	1	—	3	—
4	पटवार भवन	1	—	1	—	—	—
5	ए.एन.एम. क्वार्टर	5	4	—	—	—	1
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	—	1	—	—	—
7	लेबर रूम	1	1	—	—	—	—
	योग :	**67**	**36**	**12**	**10**	**3**	**6**

3.8.1.1 उपरोक्त सारिणी में दी गई सूचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि, चयनित पंचायत समितियों में अध्ययन हेतु चयनित किये गये 89 कार्यों में से 67 सेवा केन्द्र जन सेवा/सुविधा से संबंधित थे। कार्य स्वीकृति से पूर्व इन केन्द्रों की भौतिक स्थिति पृथक–पृथक भवनों/स्थानो में स्थित थे। इन 67 केन्द्रों में से 36(53.73 प्रतिशत) केन्द्र किराये के भवनों/मकानों में संचालित किये जा रहे थे। जिनमें आंगनबाड़ी केन्द्र, किचनशेड, पंचायत भवन, लेबर रूम मुख्य है। 12(17.91 प्रतिशत) केन्द्र सरकारी भवनों में एवं 10(14.93 प्रतिशत) केन्द्र खुले आसमान/स्थान के नीचे, 3(4.48 प्रतिशत) अन्य स्थानों पर तथा 6(8.96 प्रतिशत) केन्द्रों का कोई स्थान निश्चित/नियम नहीं था संचालित किये जा रहे थे। अतः योजनान्तर्गत इन केन्द्रों की भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर इनके लिए सरकारी भवन निर्मित कर दिये गये जिसके फलस्वरूप स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिली ही है साथ ही किराये के विरूद्ध होने वाले सरकारी व्यय में भी बचत हुई है, साथ ही सरकारी परिसम्पत्तियों का स्थाई निर्माण हो जाने से परिसम्पत्तियों का सृजन भी हुआ है।

3.8.1.2 योजना के तहत् निर्मित जन सुविधा स्थलों की योजना से पूर्व की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी। :–

(i) अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में थे एवं उपलब्ध स्थान/भवन काफी कम था जिससे केन्द्र के संचालन में कठिनाई आ रही थी।

(ii) अधिकांश केन्द्रों पर कमरे कच्चे थे, जो खराब स्थिति में थे जिससे असुविधा हो रही थी।

(iii) ए.एन.एम. का पृथक से क्वार्टर नहीं थे। ए.एन.एम. किराये के भवन में रहती थी।

(iv) बाउण्ड्री वॉल नही होने से सुरक्षा का अभाव था।

3.9.0 **चयनित कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन** :

3.9.1 अध्ययन दल द्वारा चयनित पंचायत समितियों में चयनित किये गये कार्यों पर सभी जातियों, वर्गों, महिलाओं–पुरूषों सभी का नियोजन किया गया है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

तालिका VI

चयनित कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की संख्या

क्र. सं.	श्रमिकों का वर्गीकरण वर्गानुसार		चयनित कार्यों पर नियोजित किये गये श्रमिकों की संख्या		योग
1	(i)	अनुसूचित जाति	971	43.25	
	(ii)	अनुसूचित जनजाति	210	9.35	
	(iii)	अन्य	1064	47.39	2245
2	लिंगानुसार				
	(i)	महिला श्रमिक	660	29.40	
	(ii)	पुरूष श्रमिक	1585	70.60	2245
3	कार्यस्थल/निवास के अनुसार				
	(i)	स्थानीय/गांव के	1707	76.04	
	(ii)	ग्राम के बाहर के	538	23.96	2245

3.9.1.1 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित कार्यों पर 971 (43.25 प्रतिशत) श्रमिक अनुसूचित जाति के, 210(9.35 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के तथा 1064(47.39 प्रतिशत) श्रमिक अन्य जाति वर्ग से नियोजित किये गये थे। चयनित कार्यों पर महिला एवं पुरूष श्रमिकों के नियोजन में महिलाओं की तुलना में पुरूष श्रमिकों की संख्या अधिक थी जिसमें 1585 (70.60 प्रतिशत) पुरूष श्रमिक एवं 660 (29.40 प्रतिशत) महिला श्रमिक नियोजित की गई।

3.9.1.2 योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों पर अधिकांश रूप से स्थानीय/ग्राम के लोगों को ही रोजगार उपलब्ध हुआ है। उससे 1707(76.04 प्रतिशत) स्थानीय/ग्राम के श्रमिकों को तथा 538 (23.96 प्रतिशत) ग्राम के बाहर के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया है, जो योजना के प्रावधान, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना के अनुरूप सही था।

3.10.0 **मजदूरी का भुगतान** :

3.10.1 कार्यस्थल पर उपस्थित कार्यकारी वर्ग एवं श्रमिकों के अनुसार डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत चयनित कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को निर्धारित टॉस्क के अनुसार मजदूरी दी गई या मजदूरी का नकद भुगतान किया गया है। सामग्री के रूप में भुगतान नहीं किया गया।

3.10.1.1 सर्वेक्षण के साथ प्राप्त जानकारीनुसार चयनित कार्यों पर श्रमिकों को निर्धारित समयावधि में निर्धारित टास्क अनुसार मजदूरी का नकद भुगतान किया गया था।

3.11.0 **चयनित कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोग** :

3.11.1 मूल्यांकन अध्ययन दलों द्वारा चयनित पंचायत समितियों में अध्ययन हेतु चयनित किये गये कार्यों के मौके पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर कार्यवार गुणवत्ता एवं उनके उपयोग सम्बन्धी बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार पायी गयी।

निर्मित कार्य की गुणवत्ता :

चयनित 89 कार्यों के भौतिक सत्यापन के समय प्राप्त जानकारीनुसार 89 में से 76 कार्य पूर्ण पाये गये एवं अधिकांश कार्य की निर्माण स्थिति अच्छी/सन्तोषप्रद पायी गई।

तालिका VII
चयनित कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोग की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	चयनित कार्यों की श्रेणी/नाम	चयनित कार्यों की कुल संख्या	पूर्ण करवाये गये कार्यों की संख्या	कार्यों की स्थिति कैसी है ? (संख्या)			क्या कार्य का उपयोग हो रहा है ? (संख्या)	
				अच्छी	साधारण	खराब	हाँ	नहीं
1.	आंगनबाड़ी केन्द्र	27	22	11	10	1	16	6
2.	बाउण्ड्रीवाल	22	17	3	14	—	17	—
3.	किचन शैड	26	26	7	14	5	22	4
4.	पंचायत भवन	6	5	1	4	—	4	1
5.	ए.एन.एम.आवास/क्वार्टर	5	4	2	2	—	1	3
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	—	1	—	1	—
5.	लेबर रूम/प्रसूति कक्ष	1	—	—	—	—	—	—
	योग	**89**	**76**	**24**	**46**	**6**	**62**	**14**

3.11.1.1 उपरोक्त तालिका में उपदर्शित सूचनाओं के विवरण से डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की स्थिति से स्पष्ट है कि चयनित किये गये 89 कार्यों का मौके की स्थिति एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि चयनित 89 कार्यों में से 76 कार्य ही पूर्ण निर्मित पाये गये, शेष 13 कार्य अपूर्ण/अधूरे निर्मित होने के साथ–साथ कार्यों पर निर्माण कार्य चल रहा था। इन अवलोकित किये गये 76 पूर्ण कार्यों में 24 कार्यों की स्थिति अच्छी एवं 46 कार्यों का निर्माण कार्य साधारण अर्थात् ठीक–ठीक था जबकि 6 कार्यों का निर्माण कार्य सन्तोषप्रद नहीं था। यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि कार्यों की भौतिक स्थिति का आंकलन कार्यों के मौके की स्थिति को देखकर किया गया है, क्योंकि मूल्यांकन दल में कोई तकनीकी सदस्य नहीं थे अतः उनको सापेक्ष दृष्टि के साथ–साथ उक्त विश्लेषण को गम्भीरता से देखा जाना चाहिए।

3.11.1.2 जिन 6 कार्यों की निर्माण की स्थिति खराब थी तत्सम्बन्ध में मूल्यांकन दल द्वारा गहन जानकारी करने पर पाया कि इसके निम्नांकित कारण थे :–

(i) निर्माण में संभवतः उपयुक्त अनुपात में आवश्यक निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण कार्यों में मजबूती नहीं आ पाई फलस्वरूप कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही टूटने/खण्ड़ित होने लगे।

(ii) कार्य का निर्माण पूर्ण होने तक लगातार जारी रखा जाना चाहिए था जो नहीं किया गया एवं बीच–बीच में निर्माण कार्य रोक दिया जाता था। अतः निर्माण कार्य को लगातार निर्मित नहीं कर नियत अवधि में पूर्ण नहीं कर विभिन्न अन्तरालों में चालू/बन्द कर दिये जाते थे जिसके कारण निर्माण कार्यों की देखरेख नहीं हो पाई तथा निर्मित कार्य खण्ड़ित होने की स्थिति में आ गये।

(iii) निर्माण कार्यों की निगरानी/रख–रखाव का अभाव होने के कारण भी ऐसे निर्मित कार्यों में टूटफूट/दरारें आदि हो गयी।

3.11.2 **निर्मित कार्यों का उपयोग** :

पूर्ण निर्मित 76 कार्यों में से 62 (81.58 प्रतिशत) कार्यों का उपयोग किया जा रहा है एवं 14 (18.42 प्रतिशत) कार्यों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कई पूर्ण निर्मित कार्यों को तो सर्वे दिनांक तक सम्बन्धित विभाग/कार्यालयों को नहीं सौंपा गया जिसके कारण उनका उपयोग नहीं हो रहा है।

3.12.0 **कार्य सम्पत्ति के रख–रखाब की स्थिति :**

3.12.1 अध्ययन दल द्वारा पूर्ण करवाये गये निर्मित संसाधनों के रख–रखाव की स्थिति की जानकारी करने का भी प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में निर्मित संसाधनों के भौतिक सत्यापन के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई उसका पंचायत समितिवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका VIII

परिसम्पत्तियों के रख–रखाब की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित कार्यों की संख्या	अवलोकित किये गये पूर्ण कार्यों की संख्या	कार्य सम्पत्ति का रख–रखाव		
				अच्छा	साधारण	नहीं किया जा रहा।
1	करौली	14	12	2	6	4
2	सपोटरा	9	7	2	5	—
3	खण्डार	15	13	1	12	—
4	गंगापुर सिटी	11	5	1	2	2
5	छबड़ा	10	10	3	4	3
6	अटरू	10	10	5	5	—
7	मनोहर थाना	10	10	4	5	1
8	बकानी	10	9	8	1	—
	योग :	**89**	**76**	**26**	**40**	**10**
	प्रतिशत :	—	—	**34.21**	**52.63**	**13.16**

3.12.1.1 उपरोक्त तालिका डांग क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्य सम्पत्तियों के रख–रखाव की स्थिति स्पष्ट करती है। उपरोक्त स्थिति के अनुसार 34.21 प्रतिशत कार्य/सम्पत्तियों का रख–रखाव साधारण/ठीक–ठाक है किन्तु 13.16 प्रतिशत कार्य/सम्पत्तियों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। जिन परिसम्पत्तियों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है उनमें आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, ए.एन.एम. क्वार्टर (आवास), किचनशैड आदि है, जिनका स्वामित्व क्रमशः महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग का है।

3.12.2 निर्मित कार्यों के उपयोग नहीं होने के कारण :

मूल्यांकन दलों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान डांग क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत सत्यापित 14 कार्यों का उपयोग नहीं हो रहा था, जिनका कार्यवार विवरण एवं कारण निम्नानुसार पाये गये :–

(1) **आंगनबाड़ी केन्द्र :**

इस कार्य के अन्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा आदि हेतु आंगन केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य करवाया गया था। अवलोकन करने पर चयनित पंचायत समितियों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होने के उपरान्त भी उनका उपयोग नहीं हो रहा है। चयनित पंचायत समिति करौली के ग्राम केला देवी में निर्मित आंगनबाड़ी भवन धार्मिक स्थल के पास होने के कारण आंगनबाड़ी का संचालन नहीं हो पा रहा है एवं ऐसे सार्वजनिक भवन का दुरूपयोग हो रहा है। इसी प्रकार गंगापुरसिटी पंचायत समिति के नारायणपुर ग्राम में निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र का कार्य पूर्ण हो चुका किन्तु ग्राम में विवाद के चलते आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राईवेट व्यक्ति ने ताला लगा रखा है एवं जाति विशेष के लोग सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरूपयोग कर रहे है। मनोहरथाना पंचायत समिति के ग्राम खांखरा गुजरान में केन्द्र नहीं चल रहा है जबकि कार्य 2006–07 में पूर्ण हो चुका था। गांव के लोग कोटा स्टोन की फर्स उखाड़ ले गये तथा केन्द्र में गन्दगी भरी हुई थी। कुछ निर्मित केन्द्रों का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भी उन्हें सौंपा (कब्जा) नहीं दिया गया है।

(2) **किचन शैड्स :**

विद्यालयों में मिड–डे मील का पोषाहार पकाने/तैयार करने हेतु किचनशैड का निर्माण कार्य योजनान्तर्गत करवाये गये हैं। क्षेत्र कार्य के दौरान देखा गया कि, निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी कुछ किचनशैड्स का उपयोग नहीं किया जा रहा है। करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कैलादेवी में निर्मित किचनशैड का कोई उपयोग नहीं हो रहा है एवं लोगों द्वारा इस कार्य सम्पत्ति का दुरूपयोग किया जा रहा है। अवलोकन करने पर पाया कि उक्त किचनशैड का स्वरूप ही बिगाड़ दिया एवं इसमें लोगों ने गन्दगी कर रखी है। कैलादैवी धार्मिक स्थल होने के कारण वहाँ आने–जाने वाले व्यक्ति/ग्रामवासी इस निर्मित शैड में गन्दगी करते हैं। इसी प्रकार छबड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झरखेड़ी के ग्राम बड़ोदिया में वर्ष 2005–06 में स्वीकृत किचनशैड का निर्माण हुआ है जिस पर टीनशैड नहीं थी एवं न ही इसका उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मामचारी के ग्राम कल्याणी तथा ग्राम पंचायत मावली के ग्राम बड़ापुरा में निर्मित किये गये किचनशैड्स का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(3) **ए.एन.एम. क्वार्टर (आवास) :**

सन्दर्भित वर्षों में योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में ए.एन.एम. के निवास हेतु आवासों का निर्माण कार्य करवाया गया है। सर्वे के दौरान अवलोकन किया गया कि, चयनित पंचायत समिति, मनोहरथाना की ग्राम पंचायत खाताखेड़ी एवं छपड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झारखेड़ी के ए. एन. एम. के लिए क्वाटर निर्मित करवाये गये

हैं। किन्तु इन आवासों/क्वार्टरों को अभी तक विभाग को हस्तान्तरित/कब्जा नहीं सौंपा गया है। फलस्वरूप इन आवासों का न तो उपयोग हो रहा है एवं न ही इनका रखरखाव ही होता है। इसी प्रकार करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मावली में ए.एन.एम. आवास को उपयोग में नहीं लिया जा रहा है एवं क्वार्टर बन्द पड़ा है।

(4) **ग्राम पंचायत भवन :**

करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मामचारी में पंचायत भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है किन्तु सर्वे दिनांक तक उक्त निर्मित भवन को हैण्डओवर/कब्जा नहीं सौंपा गया है जिसके कारण भवन का रखरखाव नहीं हो पा रहा है। अवलोकन में यह भी पाया कि उक्त भवन को लेकर ग्रामवासियों द्वारा विवाद/व्यवधान डाला जा रहा है। इसी प्रकार पंचायत समिति छबड़ा की ग्राम पंचायत झरखेड़ी में वर्ष 2005–06 में पंचायत भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था एवं भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु सर्वे दिनांक तक इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। अवलोकन करने पर पाया कि, भवन में साफ–सफाई की कमी थी। अतः निर्मित भवन के उपयोग नहीं होने से उसके रखरखा में भी बाधा आ रही है।

(5) **प्रसूती कक्ष/लेबर रूम :**

क्षेत्र कार्य के दौरान पाया कि, चयनित पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत आगरिया में वर्ष 2005–06 में प्रसूती कक्ष/लेबर रूम निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ था। इस हेतु 1.40 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई किन्तु 3 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् भी उक्त स्वीकृत कार्य का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया तथा 0.56 लाख रूपये की राशि ही व्यय की गई है। छत एवं फर्श का कार्य बकाया पड़ा है। कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण निर्मित ढाँचा का कोई उपयोग नहीं है।

अतः उपरोक्त निर्मित कार्यों पर विभाग स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए एवं उनके उपयोग में लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाने चाहिए।

3.12.3 निर्मित कार्यों के उपयोग हेतु विभाग स्तर से वांछित कार्यवाही :

डांग क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् स्वीकृत कार्य स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप थे। कार्यों का चयन हेतु स्थान का चयन उपयुक्त था। निर्माण कार्य होने से लोगों को सुविधा हुई है। अधिकांश कार्यों का निर्माण स्तर सन्तोषप्रद था। तथापि कार्य के समय पर पूर्ण नहीं होने, निर्माण के पश्चात् रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने, निर्मित कार्य क्रियान्वयन संस्थान को हस्तान्तरित नहीं होने से कार्यों का उपयोग नहीं हो पाने से योजना के तहत् स्वीकृत समस्त कार्यों का लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिल पा रहा था। विभागों को उक्त कमियाँ शीघ्र दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

———

अध्याय–चतुर्थ

योजनान्तर्गत सृजित रोजगार एवं सुझाव

4.0 **प्रतिदर्श विवरण :**

4.1 डाँग क्षेत्रीय विकास योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित की गई 8 पंचायत समितियों में योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मिड–डे मील हेतु किचनशैड्स निर्माण विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण, आंगनबाड़ी भवन, प्रा.स्वा.केन्द्र, पंचायत भवन, पटवार भवन आदि के निर्माण कार्य सम्पादित करवाये गये हैं।

4.1.1 अध्ययन हेतु चयनित की गई प्रत्येक पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में अधिकतम कार्य वाली 2–2 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया एवं इन चयनित ग्राम पंचायतों में किये गये कार्यों में यह भी ध्यान रखा गया कि, उस ग्राम पंचायत में योजनान्तर्गत सम्पादित सभी सेक्टर्स के कार्य चयनित हो जायें। चयनित की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम से कम (न्यूनतम) 5 कार्यों का चयन किया गया। जिन चयनित ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 5 कार्य नहीं मिलने की स्थिति में उस क्षेत्र की निकटतम ग्राम पंचायत से शेष रहे अन्य कार्यों का चयन किया गया। इस प्रकार चयनित की गई 8 पंचायत समितियों में कुल 89 कार्यों का चयन किया जाकर अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य सम्पादित किया गया है।

4.1.1.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित किये गये 89 कार्यों का अवलोकन कर स्थानीय व्यक्तियों के समूहों एवं कार्यों पर नियोजित किये गये श्रमिक/लाभार्थियों से साक्षात्कार कर उनसे योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर वास्तविक स्थिति की जानकारी की गई। साक्षात्कार के दौरान अध्ययन हेतु कुल 254 श्रमिक लाभार्थियों एवं 20 स्थानीय ग्रामवासी समूहों से विचार–विमर्श एवं कार्यों का अवलोकन कर श्रमिक लाभार्थी एवं ग्रामवासी समूह अनुसूचियाँ भरी गई। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 52 सरकारी कार्यकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं योजना में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनके विचार/मत/अभिमत/प्रतिक्रिया प्राप्त कर उनसे कार्यकारी अनुसूचियाँ भरी गई। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिलों में चयनित की गई पंचायत समितिवार चयनित प्रतिदर्श का विवरण निम्न प्रकार है।

4.1.1.3 प्रस्तुत अध्ययन की 4 जिलों में चयनित 8 पंचायत समितियों के 254 श्रमिक लाभार्थियों एवं 21 ग्रामवासी समूहों तथा 52 सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों के समग्र समूहों पर आधारित है, जो अध्ययन दल के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित कार्यों के अवलोकन एवं स्थानीय समूहों, श्रमिक लाभार्थियों तथा कार्यकारियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा अवगत करवाई गई जानकारी/दी गई सूचनाओं, विचारों, तथ्यों एवं दी गई प्रतिक्रियाओं को संकलित कर उनका मदवार विवेचन किया गया है, रोजगार सृजन के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से सूचना एकत्र की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका – I

रोजगार सृजन बाबत सूचना एकत्र किये गये स्तरों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित पंचायत समिति का नाम		श्रमिक/ लाभार्थी अनुसूची	ग्रामवासी समूह अवलोकन अनुसूची	कार्यकारी अनुसूची	योग
1	करौली	1	करौली	42	5	10	57
		2	सपोटरा	27	4	6	37
2	सवाईमाधोपुर	3	खण्डार	35	2	–	37
		4	गंगापुरसिटी	30	2	6	38
3	बारां	5	छबड़ा	30	2	8	40
		6	अटरू	30	2	7	39
4	झालावाड़	7	मनोहरथाना	30	2	8	40
		8	बकानी	30	2	7	39
			योग :	**254**	**21**	**52**	**327**

4.2.0 **चयनित श्रमिक लाभार्थियों की जाति** :

4.2.1 डाँग क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित किये गये कुल 254 श्रमिक लाभार्थियों की जाति वर्ग के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का पंचायत समितिवार विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है :–

तालिका – II

श्रमिक लाभार्थी में उत्तरदाताओं का जातिगत विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति		चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों की कुल संख्या	चयनित उत्तरदाताओं की जाति (संख्या में)		
					अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य
1	करौली	1	करौली	42	21	3	18
		2	सपोटरा	27	18	1	8
2	सवाईमाधोपुर	3	खण्डार	35	32	1	2
		4	गंगापुरसिटी	30	18	–	12
3	बारां	5	छबड़ा	30	13	6	11
		6	अटरू	30	9	8	13
4	झालावाड़	7	मनोहरथाना	30	–	3	27
		8	बकानी	30	7	6	17
			योग :	**254**	**118**	**28**	**108**
			प्रतिशत :		**(46.46)**	**(11.02)**	**(42.52)**

4.2.1.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) चयनित किये गये कुल 254 उत्तरदाता श्रमिकों में से सर्वाधिक 118(46.46 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के एवं 108(42.52 प्रतिशत) अन्य जाति वर्ग के तथा सबसे कम 28(11.02 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्तरदाता हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि, अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकांश व्यक्तियों को योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

(ii) उपरोक्त सारिणी के समंकों से यह संकेत भी मिलता है कि, सपोटरा, खण्डार एवं गंगापुरसिटी पंचायत समितियों में अधिकतर उत्तरदाता अनुसूचित जातिवर्ग से हैं।

4.3.0 **आयु** :

4.3.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से उनकी आयु सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई, जिनका आयु सम्बन्धी विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है :–

तालिका – III

श्रमिक लाभार्थी में उत्तरदाताओं का आयु सम्बन्धी विवरण

आयु वर्षों में	उत्तरदाता श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
0 से 17 वर्ष	निल	–
18 से 25 वर्ष	42	16.54
26 से 35 वर्ष	113	44.49
36 से 45 वर्ष	90	35.43
46 एवं इससे अधिक	9	3.54
योग :	**254**	**–**

4.3.1.1 उपरोक्त आयु सम्बन्धी विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि, चयनित किये गये कुल 254 उत्तरदाता श्रमिकों में से 16.54 प्रतिशत 18 से 25 वर्ष की आयु के, 44.49 प्रतिशत 26 से 35 वर्ष की आयु के थे। अर्थात कुल 61.03 प्रतिशत उत्तरदाता नवयुवक थे जबकि 35.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 36 से 45 वर्ष की थी तथा 3.54 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिक 46 एवं इससे अधिक की आयु के थे। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, योजनान्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यों पर अधिकांश नवयुवक श्रमिक उत्तरदाता श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। सारिणी के अवलोकन से यह भी संकेत मिलता है कि, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से नीचे किसी भी श्रमिक को योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों पर नियोजित नहीं किया है अर्थात बाल श्रमिक के रूप में कोई भी उत्तरदाता श्रमिक नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि श्रमि नियमों/कानूनों की पालना की गई है।

4.4.0 **उत्तरदाता श्रमिकों का व्यवसाय** :

4.4.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिकों से उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय के बारे में जानकारी करने पर उनसे जो सूचनाऐं प्राप्त हुई, उसका पंचायत समितिवार विवरण निम्न सारिणी में उपदर्शित किया गया है :–

तालिका – IV

लाभार्थी श्रमिक उत्तरदाता का व्यवसाय

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति	चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	व्यवसाय का विवरण (संख्या में)			
			मजदूरी	कृषि मजदूरी	कृषि पशुपालन	अन्य
1	करौली	42	40	1	14	–
2	सपोटरा	27	27	–	10	8
3	खण्डार	35	33	1	11	15
4	गंगापुरसिटी	30	29	–	9	14
5	छबड़ा	30	23	5	7	2
6	अटरू	30	24	3	1	3
7	मनोहरथाना	30	14	6	17	–
8	बकानी	30	19	11	2	–
	योग :	**254**	**209**	**27**	**71**	**42**

4.4.1.1 उपरोक्त सारिणी में दी गई जानकारी के विवरण से ज्ञात होता है कि, चयनित उत्तरदाता श्रमिकों में 209(82.28 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिक ऐसे थे जिनका व्यवसाय केवल निर्माण कार्य की मजदूरी है, एवं 27 (10.63 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिकों का व्यवसाय कृषि मजदूरी है तथा 71 उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं मजदूरी तीनों ही है जबकि 42 उत्तरदाता ऐसे थे जो मजदूरी के साथ–साथ अन्य धन्धों से जुड़े हुए थे जिनमें दुकान, निर्माण कार्य/मिस्त्री आदि के कार्य थे।

4.5.0 **कार्यक्रम की जानकारी** :

4.5.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाताओं से यह जानकारी करने पर कि, उनके ग्राम में डांग क्षेत्रीय विकास योजना के संचालन की जानकारी है या नहीं तत्संबंध में चयनित सभी 254 (शत प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिकों ने डांग क्षेत्रीय विकास याजना का संचालन होने की जानकारी से अवगत करवाया है।

4.5.1.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित की गई 21 ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी समूहों से उनकी ग्राम पंचायत/क्षेत्र में डांग क्षेत्रीय विकास योजना के अतिरिक्त अन्य किस–किस योजनाओं में आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य करवाये गये हैं, सम्बन्धी जानकारी करने पर ग्रामवासी समूहों द्वारा अन्य योजनाओं में योजनावार सम्पादित/करवाये गये कार्यों की जानकारी का विवरण निम्न प्रकार उपदर्शित किया गया है :–

तालिका – V

अन्य योजना में आधारभूत संरचना के निर्मित कार्य

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2005–06 से 2007–08 में अन्य योजनाओं में करवाये गये कार्यों का विवरण
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	यात्री प्रतीक्षालय, खरंजा निर्माण, ग्रेवल सड़क, तालाब गहराई, पेयजल टंकी, वेस्ट वीयर निर्माण कार्य
2	टी.एफ.सी. योजना	पेयजल पाईपलाइन/पेयजल (ट्यूबवैल) हैण्डपम्प संधारण, विद्यालय की चारदीवारी, खरंजा निर्माण, शौचालय निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट पर टीनशैड़, सार्वजनिक खेल
3	सांसद / विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एनीकट, सार्वजनिक घाट, पुलिया निर्माण, चारदीवारी, खरंजा निर्माण, पेयजल टंकी निर्माण, सी.सी.रोड़
4	एस.एफ.सी. योजना	पंचायत भवन, स्कूल की चारदीवारी, सार्वजनिक चबूतरा, खरंजा, सी.सी.रोड़, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन की मरम्मत निर्माण कार्य
5	माडा योजना	विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण

.....निरन्तर

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2005–06 से 2007–08 में अन्य योजनाओं में करवाये गये कार्यों का विवरण
6	ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना / अकाल सहायता	तलाई की गहराई का कार्य
7	सम्बल योजना	सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य
8	ई.एफ.सी. योजना	चारदीवारी निर्माण, ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य
9	डी.पी.आई.पी. योजना	स्वास्थ्य भवन निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण
10	ई.जी.एस.	तालाब निर्माण, एनीकट निर्माण, ग्रेवल सड़क, नाला उपचार, वेस्ट वीयर
11	अन्य	किचनशैड़, पेयजल टंकी निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन शाला भवन निर्माण आदि कार्य।

4.5.1.2 उपरोक्त विवरण के अनुसार चयनित की गई ग्राम पंचायतों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के वित्तीय वर्षों में राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आधारभूत संरचना के विभिन्न निर्माण कार्य सम्पादित किये गये हैं। यद्यपि अन्य विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं में जनोपयोगी कार्य करवाये गये हैं। फिर भी सुझाव दिया जाता है कि जिला योजना तैयार करते समय विभिन्न विभागों द्वारा चिन्हित कार्यों एवं डाँग योजना के तहत् करवाये जाने वाले कार्यों का समन्वय कर योजना का प्रारूप तैयार किया जावे जिससे स्थानीय आवश्यकता के अनुसार चिन्हित कार्य एक ही समय में पूर्ण क्षमता के अनुसार करवाये जा सके। उक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामवासियों को राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की पूरी–पूरी जानकारी है, जो उनकी जागरूकता का परिचायक है।

4.6.0 **कार्यस्थल का चयन** :

(i) डाँग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत निर्मित करवाये गये कार्यों के स्थान की उपयुक्तता सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित 254 श्रमिक उत्तरदाताओं में से 242 (95.28 प्रतिशत) स्थान का चयन उपयुक्त/ठीक होना तथा 12(4.72 प्रतिशत) ने स्थान का चुनाव/चयन उपयुक्त स्थान पर नहीं होना अवगत करवाया है। कार्यों के भौतिक सत्यापन के समय मूल्यांकन दल को प्राप्त सूचनानुसार भी 4 स्थानों का चयन सही नहीं बताया गया था। अतः क्रियान्वयन एजेन्सी को चयनित कार्य के कार्यस्थल का चयन पूर्ण सावधानी से करना चाहिए।

(ii) चयनित की गई ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी समूहों से स्थान के चयन संबंधी जानकारी करने पर 21 ग्रामवासी समूहों में से 17 समूहों ने स्थान का चयन उपयुक्त एवं ठीक होना तथा 4 ग्रामवासी समूहों ने कुछ कार्यों का निर्माण कार्य का स्थान उपयुक्त स्थान पर नहीं होना अवगत करवाया है। जिन कार्यों का स्थान उपयुक्त स्थान पर नहीं होना बताया है उनमें आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, किचनशैड़ पंचायत भवन का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

(iii) जब क्षेत्र में 52 सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों से कार्यस्थल के चयन की उपयुक्तता संबंधी जानकारी चाही गई तो 50(96.15 प्रतिशत) कार्यकारियों ने स्थान का चयन उपयुक्त स्थान पर होना तथा 2(3.85 प्रतिशत) ने उपयुक्त स्थान पर नहीं होने की जानकारी दी है।

जिन 2 कार्यकारियों ने चयन को ठीक नहीं बताया है उनसे जब यह पूछा गया कि कितने प्रतिशत स्थलों का चयन सही नहीं हुआ तो उन्होने अपनी प्रतिक्रिया में 50 से 60 प्रतिशत स्थलों का चयन सही नहीं होना बताया है।

4.6.1 अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, चयनित समूह के समग्र में से अधिकांश उत्तरदाताओं ने कार्य/स्थल का चयन उपयुक्त एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप ग्रामवासियों की सहमति से उचित स्थान पर किया गया है।

4.7.0 **क्रियान्वयन ऐजेन्सी कार्यों की स्वीकृति एवं राशि की पर्याप्तता** :

4.7.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों से यह जानकारी करने पर योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य किस ऐजेन्सी के द्वारा करवाये गये है तत्संबंध में सभी 52 (शत प्रतिशत) कार्यकारी उत्तरदाताओं ने कार्यों का निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जाना अवगत करवाया है।

4.7.2 योजनान्तर्गत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय पर प्राप्त हो जाती है या नहीं सम्बन्धी जानकारी करने पर 52 कार्यकारियों में से 51 (98.08 प्रतिशत) ने कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय पर प्राप्त होना तथा 1(1.92 प्रतिशत) ने समय पर प्राप्त नहीं होन की जानकारी उपलब्ध करवाई है।

4.7.3 अध्ययन हेतु चयनित कार्यकारियों से जब यह जानकारी चाही गई कि, जिला स्तर से कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के कितने समय पश्चात् कार्य प्रारम्भ करवा दिये जाते हैं तो चयनित 52 कार्यकारियों में से 36 (69.23 प्रतिशत) ने स्वीकृति जारी होने के 15 दिवस में तथा 16 (30.77 प्रतिशत) ने 30 दिन में कार्य

प्रारम्भ करवाना अवगत करवाया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 15 से 30 दिन की अवधि में कार्य प्रारम्भ करवा दिये जाते हैं, जो यथोचित अन्तराल अवधि है।

4.7.4 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित कार्यकारियों से योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु राशि की पर्याप्तता संबंधी जानकारी करने पर 24(46.15 प्रतिशत) कार्यकारियों ने स्वीकृत कार्यों पर राशि पर्याप्त होना तथा 28(53.85 प्रतिशत) ने राशि पर्याप्त नहीं होने की जानकारी दी है।

4.7.4.1 जिन 28 कार्यकारियों ने कार्यों हेतु राशि अपर्याप्त होना अवगत करवाया है उनसे यह पूछा गया कि, राशि अपर्याप्त होने पर किस प्रकार के कार्य शेष रह जाते हैं ? तत्संबंधी प्रत्युत्तर में उन्होने निम्न प्रकार के कार्य शेष रहना बताया है :–

(क) भवन में फर्श, प्लास्टर/सफेदी, खरंगा के कार्य

(ख) रंगरोगन, किवांड (दरवाजे) जोड़ी आदि।

अतः स्पष्ट है कि नवनिर्मित भवन कार्य के लिए अन्त में फिनिशिंग संबंधी कार्य राशि की अपर्याप्तता के कारण पूर्ण नहीं हो पाते हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

4.8.0 **स्वीकृत राशि की उपलब्धता एवं कार्य पूर्ण होने की अवधि** :

4.8.1 सर्वे के दौरान अध्ययन दल द्वारा कार्यकारियों से इस आशय की जानकारी भी की गई कि, स्वीकृत राशि कार्यकारी एजेन्सी को यथासमय प्राप्त होती है या नहीं तत्संबंधी प्रत्युत्तर में 13(25.00 प्रतिशत) कार्यकारियों ने स्वीकृत राशि समय पर प्राप्त होना तथा 39 (75.00 प्रतिशत) ने समय पर प्राप्त नहीं होना बताया है।

4.8.1.1 जिन 39 कार्यकारियों ने स्वीकृत राशि कार्यकारी एजेन्सी को यथासमय प्राप्त नहीं होना बताया है उन्होने स्वीकृत राशि 1 से 3 माह पश्चात् राशि प्राप्त होने की जानकारी की है।

अतः स्पष्ट है कि, कार्यकारी एजेन्सी को स्वीकृत राशि समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है जिसके कारण कार्यों के निर्माण में विलम्ब होता है एवं स्वीकृत कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं होते हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि, कार्यकारी एजेन्सी को स्वीकृत राशि यथासमय उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

4.8.2 अध्ययन के दौरान क्षेत्र के कार्यकारियों से यह जानकारी भी की गई कि, क्या स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जाते हैं या नहीं ? इस संबंध में उनके द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर में 39 (75.00 प्रतिशत) कार्यकारियों ने निर्धारित अवधि में पूर्ण होना तथा 13 (25.00 प्रतिशत) ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की जानकारी दी है। समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण यद्यपि प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लिखित किये गये हैं, तथापि बजट देरी से प्राप्त होना, चयनित कार्यों पर अनुमोदन, निर्माण कार्यों पर पानी की कमी, सामग्री की दरों में वृद्धि होने से लागत में वृद्धि आदि विलम्ब के मुख्य कारण रहे हैं।

अतः सुझाव दिया जाता है कि, विभागीय स्तर पर उपरोक्त कारणों को गंभीरता से दृष्टिगत रखते हुए इनके निराकरण के प्रयास किये जाने चाहिए।

4.9.0 **श्रमिकों के नियोजन की प्रक्रिया** :

4.9.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये कुल 254 श्रमिक उत्तरदाताओं में से 66.14 प्रतिशत उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों ने अध्ययन दल को अवगत करवाया, डांग क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत किये गये कार्यों हेतु नियोजित श्रमिक के रूप में उनका चयन बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कार्ड के आधार पर हुआ था, जो निम्न सारिणी से स्पष्ट होता है :–

तालिका – VI

उत्तरदाताओं का श्रेणीवार नियोजन का आधार

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति	कुल चयनित उत्तरदाता श्रमिकों की संख्या	मजदूरी हेतु नियोजित किये जाने के आधार		
			बी.पी.एल.	ए.पी.एल.	पुरूष/ महिला
1	करौली	42	16	8	18
2	सपोटरा	27	15	6	6
3	खण्डार	35	21	6	8
4	गंगापुरसिटी	30	4	5	21
5	छबड़ा	30	14	15	01
6	अटरू	30	6	14	10
7	मनोहरथाना	30	12	7	11
8	बकानी	30	9	10	11
	योग :	**254**	**97 (38.19)**	**71 (27.95)**	**86 (33.86)**

4.9.1.1 उपरोक्त सारिणी में दी गई जानकारी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यों पर श्रमिकों के नियोजन हेतु चयन में सर्वाधिक 97(38.19 प्रतिशत) श्रमिकों का चयन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के आधार पर किया गया है एवं 71(27.95 प्रतिशत) का चयन ए.पी.एल. के आधार पर एवं 86(33.86 प्रतिशत) अन्य पुरूष/महिला श्रमिक के रूप में किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतर श्रमिकों के चयन में बी. पी.एल. एवं ए.पी.एल. श्रमिकों को प्राथमिकता प्रदान की गई है जो मानदण्डानुसार उचित प्रतीत होता है।

4.10.0 **कार्यवार मजदूरी एवं अवधि** :

4.10.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिकों से यह जानकारी करने पर कि, उनके द्वारा डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्पादित किये गये कौन–कौनसे कार्यों पर मजदूरी की गई ? तत्संबंध में नियोजित श्रमिकों द्वारा दी गई जानकारी का पंचायत समितिवार संकलित विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका – VII

चयनित श्रमिक उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्यवार मजदूरी का विवरण

क्र. सं.	कार्यों की श्रेणी/ कार्यों का नाम जिन पर कार्य किया	पंचायत समितिवार उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों की संख्या								
		करौली	सपोटरा	खण्डार	गंगापुर सिटी	छबड़ा	अटरू	मनोहर थाना	बकानी	योग
1	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	12	6	9	9	6	12	15	6	75
2	चारदीवारी निर्माण	–	–	9	16	9	3	9	12	58
3	किचनशैड निर्माण	24	15	11	5	9	15	–	–	79
4	पंचायत भवन निर्माण	3	–	–	–	3	–	3	–	9
5	पटवार भवन निर्माण	–	6	–	–	–	–	–	6	12
6	ए.एन.एम. क्वार्टर का निर्माण कार्य	3	–	3	–	3	–	3	3	15
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	–	–	3	–	–	–	–	–	3
8	प्रसूती कक्ष निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	कुल उत्तरदाताओं की संख्या	**42**	**27**	**35**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**254**

4.10.1.1 उपरोक्त चयनित श्रमिक उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न कार्यों पर की गई कार्यवार मजदूरी के विवरण से स्पष्ट है कि, योजनान्तर्गत चयनित क्षेत्रों में संचालित कार्यों पर मजदूरी का लाभ प्राप्त किया है।

4.10.2 उपरोक्त चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से जब यह जानकारी की गई कि, उन्होने उक्त कार्यों पर कितने–कितने दिवस तक कार्य किया ? तत्संबंध में उनके द्वारा अवगत करवाई गई रोजगार अवधि की संकलित सूचनाओं का विवरण निम्न सारिणी में उपदर्शित किया गया है :–

तालिका – VIII

चयनित उत्तरदाता श्रमिकों की रोजगार अवधि

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति	चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों की संख्या	उत्तरदाता श्रमिकों द्वारा की गई मजदूरी की अवधि				
			15 दिन से कम	15 से 30 दिन	31 से 45 दिन	46 से 60 दिन	60 दिन से अधिक
1	करौली	42	12	–	3	3	24
2	सपोटरा	27	7	–	–	6	14
3	खण्डार	35	9	9	3	–	14
4	गंगापुरसिटी	30	8	16	–	–	6
5	छबड़ा	30	6	10	3	2	9
6	अटरू	30	12	3	–	–	15
7	मनोहरथाना	30	15	9	6	–	–
8	बकानी	30	6	12	–	12	–
	योग :	**254**	**75**	**59**	**15**	**23**	**82**
	प्रतिशत :		**29.53**	**23.23**	**5.91**	**9.05**	**32.28**

4.10.2.1 उपरोक्त तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार 254 उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों में से 75 (29.53 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 15 दिन से कम की अवधि तक 59(23.23 प्रतिशत) ने 15 से 30 दिन तक, 15(5.91 प्रतिशत) ने 31 से 45 दिन तक एवं 23(9.05 प्रतिशत) ने 46 से 60 दिन तक तथा 82(32.28 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिकों ने 60 से अधिक दिवस की अवधि तक मजदूरी पर नियोजित होकर कार्य किया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता श्रमिकों की औसतन 15 से 20 दिन तक की अवधि का रोजगार उपलब्ध हुआ है।

4.11.0 **मजदूरी की दर एवं भुगतान** :

4.11.1 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता से यह जानकारी भी की गई कि, योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रति श्रमिक/व्यक्ति प्रतिदिन किस दर से मजदूरी प्राप्त हुई ? इस संबंध में 254 चयनित उत्तरदाता श्रमिकों में से 240 उत्तरदाताओं के समूह ने 73/– रूपये प्रति बेलदार प्रतिदिन तथा 14 उत्तरदाताओं ने पृथक–पृथक दर

बताई है, जिसमें 3 उत्तरदाताओं ने 120 रूपये, 2 ने 125 रूपये एवं 4 ने 140 रूपये तथा 5 उत्तरदाताओं ने 150 रूपये प्रति कारीगर/मिस्त्री को प्रतिदिन की दर से मजदूरी दिया जाना अवगत करवाया है। अतः योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों पर बेलदार को 73/– रूपये प्रतिदिन एवं कारीगर को 120 से 150 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी देय होना बताया है।

4.11.2 अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिक लाभार्थियों से यह जानकारी की गई कि, उन्हे दी गई मजदूरी का भुगतान कितने–कितने दिवस के अन्तराल पर किया गया ? उनके द्वारा दी गई जानकारी का विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है :–

तालिका – IX

मजदूरी के भुगतान का अन्तराल

क्र. सं.	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल चयनित उत्तरदाता श्रमिकों की संख्या	आपको योजनान्तर्गत संचालित कार्यों पर की गई मजदूरी का भुगतान कितने दिवस के अन्तराल पर किया गया ? (उत्तरदाताओं की संख्या)				
			प्रतिदिन	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	एकमुश्त
1	करौली	42	–	–	42	–	–
2	सपोटरा	27	–	–	27	–	–
3	खण्डार	35	–	–	35	–	–
4	गंगापुरसिटी	30	–	–	10	–	20
5	छबड़ा	30	–	–	30	–	–
6	अटरू	30	–	–	30	–	–
7	मनोहरथाना	30	–	–	30	–	–
8	बकानी	30	–	–	234	–	–
	योग :	**254**	**–**	**–**	**234 (92.13)**	**–**	**20 (7.87)**

4.11.3 उपरोक्त सारिणी में दी गई जानकारी के अनुसार चयनित 254 उत्तरदाता श्रमिकों में से 234 (92.13 प्रतिशत) ने प्रत्येक पखवाड़े/पाक्षित अर्थात 15 दिवस में तथा 20(7.87 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने एकमुश्त मजदूरी का भुगतान होना अवगत करवाया है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रतिमाह में भुगतान किसी भी श्रमिक को नहीं होना बताया है। अतः स्पष्ट है कि अपवादस्वरूप कुछ उत्तरदाताओं को छोड़कर अधिकतर उत्तरदाता श्रमिकों ने देय मजदूरी का भुगतान पाक्षिक होना बताया है।

4.11.4 अध्ययन के दौरान चयनित श्रमिक उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र के कार्यकारियों से यह जानकारी भी की गई कि, श्रमिकों को निर्धारित दर के अनुसार पूरी मजदूरी का भुगतान हुआ या नहीं तत्संबंध में उनसे व्यक्तिशः साक्षात्कार के दौरान उनके द्वारा दी गई जानकारी निम्न तालिका में अंकित की गई है :–

तालिका – X
मजदूरी का भुगतान

क्र. सं.	चयनित उत्तरदाता समूह की श्रेणी	कुल चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	क्या श्रमिकों को निर्धारित दर के अनुसार पूरी मजदूरी का भुगतान समय पर प्राप्त हो गया था ?	
			हाँ	नहीं
1	चयनित श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाता	254	241 (94.88)	13 (5.12)
2	कार्यकारी	52	52 (100.00)	–
	योग :	**306**	**293 (95.75)**	**13 (4.25)**

4.11.5 उपरोक्त तालिका में दी गई स्थिति का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि समग्र समूह के 306 उत्तरदाताओं में से 293(95.75 प्रतिशत) ने सम्पादित कार्यों पर श्रमिकों को निर्धारित दर के अनुसार पूरी–पूरी मजदूरी का भुगतान समय पर होना अवगत करवाया है। शेष 13(4.25 प्रतिशत) ने समय पर भुगतान नही होने की जानकारी दी है। जिन 13 उत्तरदाता श्रमिकों ने समय पर पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं होना बताया है उनसे इसके कारणों की जानकारी करने पर 9 श्रमिक उत्तरदाताओं ने इस बाबत् जानकारी नहीं होना तथा शेष 4 श्रमिक उत्तरदाताओं ने राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बताये हैं।

4.11.6 अतः उपरोक्त समग्र मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों में से अधिकतर श्रमिकों को उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर से समय पर किया गया है।

4.12.0 **निर्माण सामग्री की उपलब्धता** :

(i) अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता श्रमिकों से क्षेत्र में निर्माण सामग्री की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी करने पर 229(90.16 प्रतिशत) ने निर्माण सामग्री अन्य स्थानों से मंगवाने, 18(7.09 प्रतिशत) ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने, 4(1.57 प्रतिशत) ने आसानी से उपलब्ध हो जाने तथा 2(0.79 प्रतिशत) ने निर्माण सामग्री की उपलब्धता में परेशानी आने की जानकारी से अवगत करवाया है जबकि 1 (0.39 प्रतिशत) उत्तरदाता श्रमिक ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ii) चयनित की गई ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी समूहों से चयनित क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की उपलब्धता संबंधी जानकारी करने पर चयनित 21 ग्रामवासी समूहों में से 10 (47.62 प्रतिशत) ने स्थानीय एवं बाहरी दोनों स्तर से एवं 8(38.10 प्रतिशत) ने बाहर से तथा 3(14.29 प्रतिशत)समूहों ने स्थानीय स्तर पर ही निर्माण सामग्री की उपलब्धता एवं व्यवस्था हो जाने की जानकारी दी है।

अतः समग्र सामयिकी विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित ग्रामों में स्थानीय स्तर पर निर्माण सामग्री की उपलब्धता कम है एवं इसकी व्यवस्था बाहर से करनी पड़ती है जिससे कार्य की लागत भी बढ़ती है।

4.13.0 **योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता** :

4.13.1 चयनित उत्तरदाताओं के समूह से योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धी प्रतिक्रिया प्राप्त की गई उनमें प्राप्त प्रतिक्रिया सम्बन्धी जानकारी का विवरण निम्न तालिका में उपदर्शित किया गया है :–

तालिका – XI

क्र. सं.	चयनित उत्तरदाता समूह की श्रेणी	चयनित उत्तरदाता समूह की संख्या	कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता कैसी है (उत्तरदाताओं की संख्या)			
			अच्छी	साधारण	ठीक–ठाक	खराब
1.	श्रमिक लाभार्थी	254	–	106 (41.73)	137 (53.94)	11 (4.33)
2.	ग्रामवासी समूह	21	3 (14.29)	–	15 (71.42)	3 (14.29)
3.	कार्यकारी	52	29 (55.77)	–	22 (42.31)	1 (1.92)
	उत्तरदाता समूह का योग	**327**	**32 (9.79)**	**106 (32.42)**	**174 (53.20)**	**15 (4.59)**

4.13.1.1 उपरोक्त तालिका में दी गई जानकारी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित उत्तरदाताओं के समग्र समूह ने 9.79 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होना, 32.42 प्रतिशत ने साधारण एवं 53.20 प्रतिशत ने ठीक–ठीक होना बताया है तथा 4.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्यों की गुणवत्ता खराब होना बताया है। अतः अधिकांश निर्मित कार्यों की गुणवत्ता साधारण/ठीक–ठाक है।

4.14.0 परिसम्पत्तियों का सृजन :

4.14.1 अध्ययन के दौरान चयनित क्षेत्र के कार्यकारियों से यह जानकारी करने पर कि डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यों से स्थायी उपयोग की सार्वजनिक सम्पत्तियों का सृजन हुआ या नहीं तत्सम्बन्ध में समस्त 52 (शत–प्रतिशत) कार्यकारियों ने योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों से परिसम्पत्तियों का सृजन होना अवगत करवाया है।

4.15.0 निर्मित कार्यों का उपयोग :

4.15.1 योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों/संसाधनों के उपयोग में लेने सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित 52 कार्यकारियों ने कार्यों के उपयोग सम्बन्धी प्रतिक्रिया में 33 (63.46 प्रतिशत) ने 100 प्रतिशत, 12 (23.08 प्रतिशत) ने 90 प्रतिशत एवं 4 (7.69 प्रतिशत) ने 60 प्रतिशत तथा 3 (5.77 प्रतिशत) ने 30 प्रतिशत कार्यों का उपयोग होना अवगत करवाया है।

4.15.2 ग्रामवासी समूहों द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया कि कुछ कार्य पूर्ण निर्मित होने के उपरान्त भी उनका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी को निर्मित संसाधन/भवन का कब्जा नहीं सौंपा है, इसी प्रकार कुछ कार्य अनुपयोगी हो रहे है जिनमें आंगनबाड़ी केन्द्र भवन ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है, किचन शैड की टीने गांव वाले ले गये, एक आंगनबाड़ी केन्द्र का रखरखाव नहीं होने से उसका दुरूपयोग गांव वाले कर रहे है, कुछ स्थानों पर कार्य निर्माण राशि के अभाव में अधूरा/अपूर्ण पड़ा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि कार्यों के समुचित उपयोग करने हेतु विभागीय स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

4.16.0 निर्मित कार्यों से उपलब्ध सुविधाऐं/लाभ :

4.16.1 योजनान्तर्गत निर्मित कार्य/आधारभूत संरचना निर्माण से ग्रामों में निम्नांकित सुविधाऐं एवं लाभ प्राप्त हुये हैं :–

(i) आंगनबाड़ी भवनों के निर्मित हो जाने एवं स्वयं का भवन होने से कार्य संचालन में सुविधा मिली है। ग्राम के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पौषाहार वितरण में सुविधा मिली है।

(ii) स्कूल की बाउण्ड्रीवाल निर्मित हो जाने से स्कूल एवं बच्चों की सुरक्षा बढ़ी है तथा अतिक्रमण पर रोक लगी है, साथ ही वृक्षारोपण करने में सुविधा मिली है।

(iii) स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण हो जाने से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगी है।

(iv) ए.एन.एम. का आवास निर्मित हो जाने से स्थाई निवास की सुविधा मिली है जिससे उनका ठहराव बढ़ा है।

(v) किचनशैड्स का निर्माण होने से पौषाहार पकाने में जो कठिनाईयाँ हो रही थी, वह दूर हो गई।

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्मित हो जाने से स्वास्थ्य सेवा संचालन में सुधार हुआ है।

(vii) पंचाचत भवन का निर्माण हो जाने से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों के संचालन में सुविधा मिलने लगी है।

(viii) पटवार भवन निर्मित होने से ग्राम में स्थाई पटवार घर से जन–सुविधा बढ़ी है।

(ix) ग्रामवासियों को रोजगार/मजदूरी प्राप्त हुई है।

4.17.0 **कार्यों का निरीक्षण एवं शिकायतों का निस्तारण :**

4.17.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित कार्यकारियों से कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् समिति के सदस्यों/जिला स्तरीय अधिकारियों/पंचायत समिति के अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा समय–समय पर कार्यों का निरीक्षण किया जाता है या नहीं सम्बन्धी जानकारी करने पर समस्त 52 (शत–प्रतिशत) कार्यकारियों ने कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण करना अवगत करवाया है।

4.17.2 अध्ययन के दौरान क्षेत्र के कार्यकारियों से योजनान्तर्गत करवाये जाने/किये गये कार्यों की शिकायत/अनियमितता पाये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा जाँच करवायी जाती है या नहीं तत्सम्बन्धी जानकारी में 39 (75.00 प्रतिशत) कार्यकारियों ने शिकायतों की जांच करवाया जाना एवं 13 (25.00 प्रतिशत) ने जाँच नहीं करवाया जाना अवगत करवाया है।

4.17.3 जिन 13 कार्यकारी उत्तरदाताओं ने जांच नहीं करवाना बताया है उनसे इसके कारणों की जानकारी करने पर बताया कि कुछ शिकायतें आधारहीन होती है जिसके कारण जाँच करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

4.18.0 **योजना/कार्यक्रम की कठिनाईयाँ एवं सुझाव :**

4.18.1 डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों में वर्ष 2005–06 से क्रियान्वित किया गया था। मूल्यांकन अध्ययन हेतु 4 जिलों का चयन किया गया एवं चयनित किये गये इन जिलों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक इस कार्यक्रम के अध्ययन हेतु प्राप्त प्रारम्भिक एवं प्रलेखीय सूचनाओं, योजना से लाभान्वित श्रमिकों/ग्रामवासी समूहों तथा चयनित जिलों में सरकारी/गैर–सरकारी कार्यकारी उत्तरदाताओं से व्यक्तिशः साक्षात्कार कर उनसे प्राप्त सूचनाओं, प्रतिक्रियाओं तथा जानकारी के साथ ही क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा किये गये अवलोकन/भौतिक सत्यापन के आधार पर कार्यक्रम के सम्पादन/संचालन में रही कमियाँ/अनुभूत की गई कठिनाईयों को दूर करने के साथ ही कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा रहे है :–

(1) **अभिलेखों का संधारण, मानिटरिंग एवं समन्वय की व्यवस्था :**

अध्ययन के दौरान देखा गया कि अध्ययन किये गये जिलों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की उपलब्ध वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के समंकों एवं राज्य के विभागीय स्तर पर प्राप्त प्रारम्भिक प्रगति की सूचनाओं/समंकों में एकरूपता नहीं है तथा समंक परस्पर विरोधाभाषी है। इससे यह प्रतीत होता है कि उपलब्ध करवाये गये समंक अद्योतन नहीं है इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य एवं जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी में परस्पर समन्वय का अभाव एवं कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग नहीं की जाती है तथा अभिलेखों का सही ढ़ंग से संधारण नहीं किया गया है। उक्त कमियों के कारण योजना की वास्तविक प्रगति परिलक्षित नहीं हो पाता है जिसके कारण योजना/कार्यक्रम के दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नांकित सुझावों को अंगीकार किया जाना चाहिए :–

(i) राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम के अभिलेखों को वर्षवार संधारण किया जाना चाहिए एवं सूचना तंत्र को प्रभावी एवं परिष्कृत कर कार्यक्रम की अद्योतन सूचनाऐं तैयार की जानी चाहिए ताकि योजना की वास्तविक प्रगति की स्थिति स्पष्ट हो सके।

(ii) राज्य स्तर पर विभागीय मुख्यालय एवं जिला स्तरीय नोडल एजेन्सियों में परस्पर समन्वय सम्पादित कर प्रभावी नियन्त्रण किया जाना चाहिए।

(iii) कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग/समीक्षा की जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम को गति मिल सके ताकि यदि कही कोई कठिनाई आ रही हो तो समय पर उसे दूर किया जा सके।

(2) **अपूर्ण रहे कार्यों को समय पर पूर्ण किया जावे :**

अध्ययन के दौरान पाया कि चयनित जिलों में योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की भौतिक कार्य प्रगति काफी धीमी रही है। किसी एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किये जाते हैं एवं उनको अगले वित्तीय वर्ष में अपूर्ण/शेष रहे कार्यों की प्रगति बतायी जाती है एवं चालू वित्तीय वर्ष में और नये कार्य स्वीकृत हो जाते हैं जिसके कारण पिछले वित्तीय वर्ष के शेष रहे कार्य एवं चालू वित्तीय वर्ष के नवीन स्वीकृत कार्य दोनों का योग बढ़ता जाता है जो पुनः उससे अगले वित्तीय वर्ष में लगातार बढ़ोत्तरी होती रहती है तथा कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं।

अतः कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु विभागीय स्तर/जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा उक्त बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा समय–समय पर कार्यों की प्रगति समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

(3) **स्वीकृत/जारी की गई राशि का उपयोग :**

अध्ययन के दौरान पाया कि अध्ययन के संदर्भित वर्षों में उपलब्ध/शेष राशि का शत7प्रतिश उपयोग निर्धारित वित्तीय वर्षों में नहीं किया गया है फलस्वरूप स्वीकृत कार्यों को न तो समय पर पूर्ण किया जाता है एवं न ही कार्यों को गति ही मिल पाती है उससे कार्यों की निर्माण लागत में वृद्धि हो जाती है। अतः कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी की गई राशि का शत–प्रतिशत उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए। इस हेतु निम्नांकित सुझावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :–

(i) कार्य एवं व्यय राशि की स्वीकृत्ति समय पर दी जानी चाहिए।

(ii) स्वीकृत कार्यों की प्रकृति, आकार को ध्यान में रखते हुये उनके निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि का पूर्वानुमान पहले से ही निर्धारित कर लिया जाना चाहिए।

(iii) प्रारम्भ किये गये कार्यों की समय–समय पर मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध/शेष राशि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

(iv) जिला स्तर पर नोडल एजेन्सी एवं कार्य निर्माण एजेन्सी के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

(v) कार्यों की स्वीकृति से पूर्व कार्यस्थल/कार्य निर्माण का तखमीना तैयार किया जाना चाहिए ताकि राशि का अभाव नहीं हो सके।

(4) **आवंटित राशि की अपर्याप्तता एवं समय पर उपलब्धता :**

क्षेत्र कार्य के दौरान यह देखा गया कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विपरीत आवंटित राशि अपर्याप्त रहती है, साथ ही राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृत कार्य अपूर्ण रह जाते हैं या उन्हें बीच में ही बन्द करना पड़ता है जिसके कारण कार्य सम्पादन/पूर्ण करने में कठिनाई आती है। अवलोकन करने पर पाया कि निर्मित कार्यों पर फिनिशिंग के लिए राशि नहीं बचती है जिससे भवन का फर्श, प्लास्टर, सफेदी/रंग–रोगन तथा दरवाजे आदि का कार्य नहीं हो पाता है तथा उक्त के अभाव में कार्य का उपयोग भी नहीं हो पाता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि आवंटित राशि समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। प्रथम किश्त की राशि 50 प्रतिशत तक उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

(5) **श्रमिक लाभार्थी उत्तरदाताओं/कार्यकारियों तथा ग्रामवासी समूहों द्वारा दिये गये सुझाव :**

(i) क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण योजनान्तर्गत जल–संरक्षण के कार्य करवाये जाने चाहिए।

(ii) क्षेत्र में वन विकास, कृषि एवं पशुपालन के कार्य करवाये जाने चाहिए।

(iii) रोजगार सृजन हेतु अधिक कार्यों को स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(iv) मजदूरी की दरों की समीक्षा कर मजदूरी की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए।

(v) स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जीविकोपार्जन हेतु कुटीर धन्धों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा कुटीर उद्योग की स्थापना/संचालन के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्थाई रूप से रोजगार मिल सके। इस हेतु पशुपालन, डेयरी के कार्यों को प्रोत्साहित किया जावें।

(vi) नशा मुक्ति के लिए जन–सहयोग से लोगों को प्रेरित किया जावें तथा इस हेतु गैर–सरकारी संगठनों को भागीदारी दी जावें ताकि स्थानीय लोग अपनी आय का अपव्यय नहीं कर सके।

(vii) सड़क निर्माण, ऐनिकट, तालाब, पेयजल आदि के कार्य योजनान्तर्गत अधिकाधिक स्वीकृत किये जाने चाहिए।

(viii) डांग क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ग्राम में कम से कम एक–एक कार्य आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

(ix) आवागमन के साधनों की सुविधा की जानी चाहिए क्योंकि डांग क्षेत्र की बसावट जंगल एवं दुर्गम स्थानों पर है।

(x) सरकारी भवन, चरागाह भूमि पर सघन वृक्षारोपण किये जाने चाहिए तथा बेकार पड़ी भूमि पर फसल तैयार की जानी चाहिए।

(xi) निर्मित कार्यों पर हो रहे अतिक्रमण तथा उनको दुरूपयोग होने से रोका जावें।

(xii) अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जाना चाहिए।

(xiii) बजट का आवंटन बढ़ी हुई दरों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(xiv) सम्पादित/पूर्ण किये गये कार्यों के रख–रखाव हेतु एक उत्तरदायी एजेन्सी का गठन किया जाना चाहिए।

(xv) श्रम निर्माण सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है जिसे बाहर से मंगवाने पर अधिक व्यय करना पड़ता है। अतः कार्यों हेतु अधिक राशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

(xvi) पंचायत समिति में स्टाफ की कमी है। अतः पदों की स्वीकृति कर उन्हें भरा जानी चाहिए।

———

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक : एफ.6(7)प्र.सु./अनु.–3/96/ जयपुर, दिनांक : 2.8.2005

आदेश

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(7)प्र.सु./अनु.–3/96 दिनांक 7.4.99 के क्रम में पूर्व में डाँग क्षेत्रीय विकास मण्डल के गठन के समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदया की आज्ञा से डाँग क्षेत्र यथा जिला सवाईमाधोपुर की दो पंचायत समिति (खण्डार एवं गंगापुर), धौलपुर की चार पंचायत समिति (धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी व बसेडी), बारां की छः पंचायत समिति (छबड़ा, शाहबाद, किशनगंज, अन्ता, छीपाबड़ौद व अटरू) झालावाड़ की दो पंचायत समिति (मनोहर थाना व बकानी), भरतपुर की दो पंचायत समिति (रूपवास व बयाना), कोटा की एक पंचायत समिति (इटाव), बून्दी की एक पंचायत समिति (केशोरायपाटन), करौली की तीन पंचायत समिति(सपोटरा, हिण्डोन व करौली) के चिन्हित क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु डाँग क्षेत्रीय विकास मण्डल का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

राज्य स्तर पर डाँग क्षेत्रीय विकास मण्डल का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1	मान्नीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2	माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
3	मुख्य सचिव, राजस्थान	सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान	सदस्य
6	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान	सदस्य
7	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान	सदस्य
8	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान	सदस्य
9	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान	सदस्य
10	शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान	सदस्य
11	शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान	सदस्य
12	शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान	सदस्य
13	शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान	सदस्य
14	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान	सदस्य
15	शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान	सदस्य
16	शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान	सदस्य
17	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान	सदस्य
18	आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
19	आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
20	राज्य परियोजना निदेशक, डी.पी.आई.पी., जयपुर	सदस्य
21	जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, झालावाड़, बारां, बून्दी	सदस्य
22	महाप्रबन्धक, नाबार्ड, जयपुर	सदस्य
23	प्रतिनिधि, सिडबी, जयपुर	सदस्य
24	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य डेयरी कोपरेटिव फैडरेशन, जयपुर	सदस्य
25	प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, जयपुर	सदस्य
26	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	सदस्य सचिव

1. डाँग क्षेत्रीय विकास मण्डल द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :–

(अ) डाँग क्षेत्रीय विकास मण्डल डाँग क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा व उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देगा।

(ब) डाँग क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नई योजनाओं के लिए भी सुझाव देगा।

(स) डाँग क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना के प्रस्ताव जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरान्त ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त होंगे। ऐसे प्रस्तावों को डाँग क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक में विचार कर अनुमोदन किया जायेगा।

2. मण्डल की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जावेगी। मण्डल का मुख्यालय जयपुर में होगा लेकिन इसकी बैठक डाँग क्षेत्र के किसी भी जिला मुख्यालय पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से की जा सकेगी।
3. डाँग क्षेत्रीय विकास मण्डल का राज्य स्तर पर प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग रहेगा। जिला स्तर पर कार्य जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के पर्यवेक्षण में कराये जा सकेंगे तथा जिला परिषद की बैठकों में इसकी समीक्षा की जा सकेगी।
4. मण्डल की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जावेगी।
5. मण्डल का कार्यकाल डाँग क्षेत्रीय विकास योजना की निरन्तरता की अवधि तक रहेगा।

आज्ञा से

(आर.सी.अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, मान्नीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निजी सहायक, मा. राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज विभाग, जयपुर
5. संसद सदस्य, बयाना, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़
6. विधानसभा सदस्य, राजाखेड़ा, बाड़ी, धौलपुर, बयाना, रूपवास, करौली, गंगापुर, सपोटरा, खण्डार, हिण्डौन, पीपल्दा, केशोरायपाटन, मनोहरथाना, किशनगंज, छबड़ा
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
8. जिला प्रमुख, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, झालावाड़, बारां, बून्दी
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
10. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव .....
11. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर
13. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, झालावाड़, बारां, बून्दी
14. परि. निदेशक(एस.ए.पी.) एवं पदेन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
15. उप शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, जयपुर
16. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/व्यवस्था एवं पद्धत्ति सचिवालय, जयपुर
17. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर
18. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
19. अद्यीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय वास्ते राजपत्र में प्रकाशन हेतु
20. समस्त सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
21. ग्रामीण विकास विभाग को अ.शा. टीप संख्या प. 3(2) ग्रावि/6/2005 दिनांक 22.7.05 के संदर्भ में आदेश की 100 प्रतियाँ समिति से संबंधित सदस्यों को भिजवाने हेतु प्रेषित हैं।
16. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

परिशिष्ट–II

डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र का सम्भागवार/जिलेवार विवरण

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या
1	भरतपुर	1. भरतपुर	1. बयाना	08
			2. रूपबास	06
		2. धौलपुर	1. बाड़ी	14
			2. बसेड़ी	19
			3. धौलपुर	16
			4. राजाखेड़ा	24
		3. करौली	1. हिण्डोन	06
			2. करौली	44
			3. सपोटरा	51
		4. सवाईमाधोपुर	1. गंगापुर सिटी	05
			2. खण्डार	15
2	कोटा	1. बारां	1. अन्ता	09
			2. अटरू	12
			3. छबड़ा	15
			4. छीपा बड़ोद	14
			5. किशनगंज	12
			6. शाहबाद	12
		2. बून्दी	1. केशोरायपाटन	14
		3. झालावाड़	1. बकाणी	20
			2. मनोहरथाना	23
		4. कोटा	1. इटावा	18
			2. सुल्तानपुर	14
योग :	**2**	**8**	**22**	**371**

परिशिष्ट–III

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति वर्ष 2006–07 (सम्भागवार/जिलेवार)

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	1.4.06 को शेष	आवंटन वर्ष 2006–07	रिलीज वर्ष 2006–07	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भरतपुर	1.भरतपुर	13.18	13.18	13.18	26.36	21.49	81.53
		2.धौलपुर	71.01	78.55	78.55	149.56	113.97	76.20
		3.करौली	60.62	60.62	60.62	121.24	5.14	48.78
		4.सवाईमाधोपुर	73.55	73.55	73.55	147.10	105.51	71.73
2.	कोटा	1. बारां	133.55	133.55	133.55	267.10	201.81	75.56
		2. बून्दी	26.46	26.44	26.46	52.92	39.40	74.45
		3. झालावाड़	91.42	104.74	104.74	196.16	114.50	58.37
		4. कोटा	9.35	9.35	9.35	18.70	17.12	91.55
	योग :		**479.14**	**500.00**	**500.00**	**979.14**	**672.94**	**68.73**

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की भौतिक प्रगति वर्ष 2006–07 (सम्भागवार/जिलेवार)

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	दिनांक 1.4.06 को अपूर्ण कार्य	नवीन कार्य स्वीकृति वर्ष 06–07	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रारम्भ नहीं	कार्य निरस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भरतपुर	1.भरतपुर	13	9	22	16	6	0	0
		2.धौलपुर	57	64	121	80	39	1	1
		3.करौली	127	33	160	120	40	0	0
		4.सवाईमाधोपुर	73	60	133	76	57	0	0
2.	कोटा	1. बारां	232	70	320	187	80	0	0
		2. बून्दी	11	17	28	21	7	0	0
		3. झालावाड़	64	42	106	49	57	0	0
		4. कोटा	8	3	11	9	2	0	0
	योग :		**585**	**298**	**883**	**558**	**288**	**1**	**36**